TATA STEEL FOUNDATION

TATA

वेब पत्रिका का त्रीमासिक मुद्रित संस्करण

kurukhtimes.com

कुँड़ुख़ टाईम्स

(अंक 11, अप्रैल - जून)

Prepared by:
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya
Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

Published by:
Tribal Cultural Society, Jamshedpur
An Ethnicity wing of TATA STEEL FOUNDATION

Tata Steel Foundation (Foundation), a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited, was incorporated on August 16, 2016. With over 600 members spread across eleven units and two states of Jharkhand and Odisha, the Foundation is a CSR implementing organisation focused upon co-creating solutions, with tribal and excluded communities, to address their development challenges reaching more than 1.5 million lives annually across 4,500 villages. The Foundation endeavors to implement change models that are replicable at a national scale, enabling significant and lasting betterment of communities proximate to Tata Steel's operating locations while embedding a societal perspective in key business decisions. The Foundation strives for excellence by ensuring that all programmes are aligned with community needs and focused upon national priority areas enabling communities to access and control resources to improve the quality of their lives with dignity.

[illegible]
कुँडुख़ टाईम्स

https://kurukhtimes.com

वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक मुद्रित संस्करण (परम्परा विशेषांक)

(अंक 11, अप्रील से जून 2024)

Consulting Editor :
Mr. Kishlaya, Ranchi
Mob. # 9431113111

Executive Editor :
Dr. Bindu Pahan, Jamshedpur
Mob# 9798956544

Co-ordinator :
Dr. Narayan Oraon, Sainda, Sisai, Gumla, Mob. # 9771163804

Assistent Co-ordinator :
Shri Bhuneshwar Oraon, Tilsiri, Ghaghra Gumla, Mob # 9798956544

Editorial Board :
1. Shri Saran Oraon, Hehal, Ranchi Mob. # 9
2. Dr. Ranthu Oraon, Ranchi Mob # 9
3. Shri Bipta Oraon, Jogo Pahar, Ranchi, Mob# 9798956544
4. Mr. Mahadeo Toppo, Ranchi Mob. # 7250212369
5. Dr. (Smt.) Shanti Xalxo, Ranchi Mob. # 9905215471
6. Dr. Satyotam Bhagat, Jamshedpur Mob. # 9608706239
7. Dr. Narayan Bhagat, Ranchi Mob. # 8521458677

Publication Office :
Tolong Chambbi, Boreya Road, Chirondi, Nagra Dippa, PS: Bariatu, Dist. : Ranchi (Jharkhand), Pin: 834006

Publiced by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

Prepared by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (addi Akhra), Ranchi

In association with
TRIBAL CULTURAL SOCIETY JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of
TATA STEEL FOUNDATION

तरपाँती — पईत्त पाब — पक्खे

1. तोलोंग सिकि (लिपि) का आधार (प्रकृति और कलाकृति) — 02
2. कुँडुख़ तोलोंग सिकि तोड़पाब (वर्णमाला) — 03
3. धरमे ओहमा — 04
4. छिन्न भिन्न होती आदिवासियत — 05
5. परम्परागत आदिवासी समाज और डिलिस्टिंग विषयक राजनीति — 10
6. एन०ई०पी० 2020 एवं आदिवासी समाज में धुमकुड़िया की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ — 12
7. बसा—नना गे सेन्दरा दिम बिसुसेन्दरा बाताःरा (सोनो—रूपो गिधि गही नवरना) — 15
8. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा (गुमला मण्डल) — 2024 — 18
9. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँडुख़) समाज की रूढ़ीगत सामाजिक न्याय व्यवस्था — 19
10. कुंडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को बी.ए. एवं एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु रांची विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति से मिला आदिवासी प्रतिनिधि मंडल। — 24
11. [illegible] — 25
12. उराँव समाज प्रतिनिधि मंडल ने तोलोंग सिकि, लिपि के संबंध में राज्यपाल के समक्ष रखी मांग — 30
13. राउरकेला में धुमकुड़िया विषयक, प्रथम दो दिवसीय कार्यशाला — 31

[illegible] (पेंच्छका = संपादकीय)

[illegible]

Dated - 25.03.2024 — *Bindu Pahan, E. Editor*

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार

तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

२. (कुँडुख़ तोलोङ सिकि तोःड़पाब)

Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला

(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

इ i ए e उ u ओ o अ a आ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, ˙ (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक, ˜ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ‿ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, । (हेचका) = विकारी अ

(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

प् p	फ् ph	ब् b	भ् bh	म् m
त् t	थ् th	द् d	ध् dh	न् n
ट् ṭ	ठ् ṭh	ड् ḍ	ढ् ḍh	ण् ṇ
च् ch	छ् chh	ज् j	झ् jh	ञ् n̈
क् k	ख् kh	ग् g	घ् gh	ङ् ṅ
य् y	र् r	ल् l	व् w	ज़् ż
स् s	ह् h	ख़् x	ड़् ṛ	ढ़् ṛh

(लेक्खा) = संख्या, Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(ख़द्दर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँख़ो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा),

(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।

(पल्ले) = दाँत, (बई) = मूँह, (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।

(ततख़ा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।

ताःका एमसाःर'ई, पल्ले, बई, मेलख़ा, होलेम चींःख़नर ख़द्दर।

ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर ख़द्दर।।

(कुडुख़ भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं प्राकृतिक अवदान तथा भाषा, विज्ञान आधारित लिपि)

/ जय धरमे

अना उङ्गु, सँवसेन उङ्गु,
सिरज'उ–पो:स'उ, मयाननु धरमे उरबय,
धरती–अयंग, धरमी–सवंग, मयृहदेव–परबईत, करम–
देंव, चन्नदो–बी:ड़ी, मेरखा–बदाली, चिच्च–चेंप, ता:का–फरी,
चा:ला–अयंग, देबी–अयंग, पचबल–पुरखर। अख़आ बल्ला,
सुमरारआ लगदम, गोहरारआ लगदम, ओहारी ननके, मलदव ती
बछाबअ़के, दव लूर–घोख चिअ़के दरा जिया–कया एंम्हयृन सवंगिया
कमअर, उ:ख़ा ती बिल्ली तरा होअ़नुम, धरम डहरेन धरताअ़के।
ओ'लग्गादम – ओ'लग्गी, ओ'लग्गी, ओ'लग्गी।

भावार्थ – हे सामर्थ्यवान, सम्पूर्ण जगत के शक्तिवान, सृजनकर्ता–पालनकर्ता, दया करने वाले हमारे मालिक ईश्वर, धरती माता, ईश्वरीय शक्तियाँ, मयृहदेव–परबईत, करम देव, चांद–सूरज, अग्नि–वर्षा, आकाश–बादल, स्वच्छ–हवा, चा:ला माता, देबी माता, पचबल पूर्वजगण। जाने अनजाने स्मरण कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें छत्रछाया प्रदान करें, बुराई से बचाएं, अच्छाई का ज्ञान–समझ दें और हमारे आत्मा एवं शरीर को शक्ति प्रदान कर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हुए धर्म के रास्ते पर ले चलें। आप सबों को हमारा प्रणाम है – प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।

4. छिन्न भिन्न होती आदिवासियत

— भुनेश्वर बखला

"आदिवासियत" शब्द का मतलब आदिवासी जीवनशैली, संस्कृति, परंपराओं, और जीवन मूल्यों से है जिसे आदिवासी समुदाय अपने आत्मीयता में संरक्षित रखते हैं। यह उन समुदायों की पहचान और धरोहर को संदर्भित करता है जो प्राचीन काल से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार आदिवासियत को निम्नलिखित बिन्दुओं से परिभाषित कर सकते हैं —

1. सांस्कृतिक धरोहर — आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर में उनके रिवाज, त्योहार, पारंपरिक नृत्य, संगीत, और कला शामिल हैं। यह धरोहर उनके धार्मिक विश्वासों, मिथकों, और पारम्परिक ज्ञान में भी परिलक्षित होती है।

2. भाषा और साहित्य — आदिवासी भाषाएँ और साहित्य उनकी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह भाषाएँ और बोली अलग—अलग समुदायों में विविधता लिए हुए हैं। भाषा उनकी विशेष पहचान और समृद्धता का स्रोत होती है।

3. पारम्परिक ज्ञान और प्रथाएँ — आदिवासियों के पास पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि, और वनोपज के क्षेत्र में समृद्ध पारम्परिक ज्ञान होता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया जाता है। यह ज्ञान उनकी आजीविका और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है।

4. सामाजिक संरचना — आदिवासी समाज में सामाजिक संरचनाएँ आमतौर पर सामूहिकता, समानता और सहभागिता पर आधारित होती हैं। इनके समाज में समुदाय की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। आदिवासी समुदाय अक्सर अपनी आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं और समुदायी उत्पादन, जैसे कि खेती, शिकार और पशुपालन पर निर्भर करते हैं।

5. पर्यावरणीय जुड़ाव — आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति के साथ गहरे संबंध रखते हैं और उनके जीवन में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रकृति से उनका एक अटूट रिश्ता और समन्वय रहता है। वह प्रकृति का मालिक नहीं पर सहभागी होता है। इसके साथ उसका सम्बन्ध सह—अस्तित्व और सहजीविता का होता है। उनकी गोत्र, प्रथाएँ और मान्यताएँ पर्यावरण की रक्षा और संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई होती हैं।

6. रूढ़िवादी व्यवस्था — आदिवासी समाज रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थन करती है जो कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बजाय संरक्षणवाद का समर्थन करती है।

इसी आदिवासियत से ही आदिवासी समाज एक दूसरे के करीब जुड़ा रहता है और हजारों वरसों से इस पृथ्वी पर अपना वजूद बचा कर अस्तित्व में है तथा जल, जंगल और जमीन को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। इसे अक्षुण रखने के लिये ही हमारे वीर पूर्वजों ने जैसे बिरसा भगवान, वीर बुधु भगत, सिद्धु कान्हों, फूलो झानो, जतरा टाना भगत इत्यादि के अगुवाई में हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकुमत से लोहा लिया और अपने प्राण की आहुति दे दी।

आज के सन्दर्भ में आदिवासियत कुँडुख आदिवासियों में —

ऐसे तो कुँडुख या तो ऊराँव समाज में आज भी समानता है एवं अन्य समाज की तरह ऊँच—नीच या तो अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होता है। आदिकाल में कुँडुख समाज का, अन्य समाज से दूर पहाड़ पर्वत व नदी नालों के बीच छोटे—छोटे गाँवों एवं कस्बों में सामुदायिक जीवन प्रणाली होता था और वो मुख्यतः खेती बारी, पशुपालन या शिकार के द्वारा जीवन यापन करता था। अतः, समतावादी व्यवस्था, उनके लिये बाध्यता रही होगी, और ये उनके सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया होगा। समाज एवं गाँव में सभी का जन्म, कर्म, लालन—पालन, भरण—पोषण, नाचना—गाना इत्यादि एक ही परिवेश में होता होगा, अतः उनमें जिन्दगी के जीवन दर्शन को समझने में एक रूपता थी चूँकि उनके जीवन शैली में बाहरी लोगों का प्रभाव बहुत् कम या नहीं के बराबर होता होगा। अतः वह बाहरी संस्कृतियों से दूर रहने के कारण अपनी आदिवासियत को अक्षुण रख पाया और अपने अस्तित्व को भी सजों के रख पाया।

परन्तु, आज के इस बदले हुए परिवेश में, खास करके अंग्रेजों के आगमन के पश्चात शासन व्यवस्था

परिवर्तन, राजतंत्र से गणतंत्र, उनके सामाजिक जीवन में बाहरी लोगों के संपर्क में आने से, उनके भाशा–संस्कृति और पहिरावे पर बाहरी लोगों के द्वारा निरंतर अतिक्रमण एवं तिरस्कार होने से उन्हें हीन भावना से ग्रसित होना पड़ा जिससे उनमें बाहरी भाषा–संस्कृति का धीरे धीरे आत्मसात् शुरू हुआ। फिर आधुनिक स्कूली शिक्षा के प्रारम्भ होने के तत्पश्चात् तथा ग्लोबलाइजेशन के कारण चारों ओर से आदिवासियों के भाषा, संस्कृति, धर्म, रोजगार, राजनीति इत्यादि पर अतिक्रमण होने के कारण, उनके जीवन मूल्य और जीवन दर्शन में बहुत ही ज्यादे भिन्नता देखने को मिल रहा है। अतः कुँड़ुख़ समाज भी इस आधुनिकता और ग्लोबलीकरण के अतिक्रमण से अछुता नहीं है, और अन्य आदिवासी समाज की तरह ही उनकी आदिवासियत भी क्षीण हो रही है।

उनकी छिन्न भिन्न होती आदिवासियत, निम्न मुख्य कारणों से हो रहा है –

1. संक्रमण और समुदायिक असंतुलन – ग्लोबलीकरण के कारण आदिवासी समुदायों में बाहरी संस्कृतियों और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास के प्रभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे समुदायिक संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है और आदिवासी भावनाओं और संस्कृति को खतरे में डाल रहा है।

2. भौतिक परिवर्तन और अभिव्याक्ति के स्थानों की हानि – वन्य जीवन की हानि, जलवायु परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, स्थानीय आदिवासी समुदायों को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की क्षति वा लुप्त हो रही है, जिससे उनकी आदिवासियत सहेजने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

3. शिक्षा और सम्प्रदायिक ज्ञान की कमी – आधुनिकीकरण के समय में, बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दीक्षा से वंचित रखने से आदिवासी समुदायों की पारम्परिक ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। इससे आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने की क्षमता कमजोर हो रही है।

4. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबंध – कई बार सरकारी नीतियाँ और सामाजिक प्रतिबंध आदिवासी समुदायों के संस्कृति और जीवनशैली को प्रभावित कर रही हैं। इससे उनके आदिवासी भावनाओं की समृद्धता और सहेजने की क्षमता पर असर पड़ रहा है।

5. संसाधनों की अव्यवस्था – आदिवासी समुदायों के लिए स्वाभाविक संसाधनों की अव्यवस्था और उनके पहुँच की कठिनाई से संरक्षण नहीं हो पा रहा है।

6. आधुनिक शिक्षा व्यवस्था – हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था धुमकुड़िया में, शिक्षा का माध्यम लिखित रूप में न होकर के मौखिक रूप में होता था, चूंकि उस समय हमारे समाज की अपनी कोई लिपि नहीं होती थी। अतः हमारे पास हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गयी हमारी भाषा–संस्कृति, जीवन दर्शन और जीवन मूल्य इत्यादि का कोई संग्रह, किताब या ग्रंथ नहीं है, जिस पर हम गर्व कर सकें और उसका अनुकरण कर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। वहीं आधुनिक शिक्षा ब्यवस्था में हमारी प्रारम्भिक शिक्षा, हमारी भाषा में न होकर, बाहरी भाषा में और बाहरी संस्कृति की ही हो रही है जिससे हमें हमारी भाषा–संस्कृति पर हीन भावना की उत्पति हो रही है और हम बाहरी भाषा–संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

7. धर्म परिवर्तन – आदिवासियों के धर्म परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक दबाव, शिक्षा एवं विकास, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण इत्यादि के प्रभाव से हो रहा है जिससे उनकी जीवन शैली, जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों को उसी धर्म के अनुसार ही आत्मसात् कर रहे हैं अतः हमारी संस्कृति में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन प्रमुख कारणों के अलावा, विभिन्न स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है। आजादी के पहले तक, ब्रिटिश शासन काल में, जनगणना के कॉलम में भी आदिवासियों का एक विशिष्ट और पृथक धर्म कॉलम होता था, जिससे वो अपनी अलग पहचान दर्ज करा सकता था और गौरावान्वित महसूस करता था। परंतु आजादी के उपरांत, तब की शासन ब्यवस्था, इसे अलग कॉलम देना गैरजरूरी समझा।

8. पेशा परिवर्तन – बढ़ती आबादी, सरकार की नीति और परम्परागत खेती बारी और पशुपालन इत्यादि में कष्टदायक जीवन व अलाभकारी होने के कारण लोग शिक्षित होने के तदुपरांत अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी पेशा या अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं जिससे उनके परम्परागत सामुदायिक जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। आजकल तो आदिवासी युवक युवतियाँ, गाँव से

खेती बाड़ी का काम को त्यागकर षहर में कुल्ली कबाड़ी, रेजा और आया काम करने में भी गर्व महसूस कर रहे हैं। और इस कारण एसई भी उनकी आदिवासियत क्षीण हों रही है।

9. सोशल मीडिया – आजकल, मोबाईल फोन जिन्दगी का एक अभिन्न अंग हो गया है, पर इसकी जरूरतों के साथ ही इसमें आसानी से उपलब्ध अन्य समुदायों की संस्कृति बच्चों को उनकी ओर प्रलोभन और अकर्सित करते हैं और उसे वे आत्मसात् कर रहे हैं।

10. अंतरजातीय विवाहरू आज कल उच्च षिक्षा और नौकरी पेषा इत्यादि के लिये गाँव से निकल कर षहर में जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ वे अन्य जातियों के संपर्क में आते हैं और षादी के सूत्र में बंध जाते हैं जिससे वो अपनी भाशा और संस्कृति को बरकरार नहीं रख पाते हैं।

11. डेमोग्राफिक बदलाव – प्रषासन ने हमें और राज्यों की तरह, आदिवासी समाज को एक अलग राज्य नहीं दिया जिससे, बाहरी लोग भी रोजगार और जीविका के लिए आदिवासी क्षेत्र में आकर बसने लगे तथा वे लोग भी अपने साथ अपनी भाशा और संस्कृति को साथ में लेकर आये और हमारी आदिवासी भाशा संस्कृति उनका सामना नहीं कर पायी और बौनी साबित हुई। खास करके जहां जहां औद्योगिकरण ज्यादा हुआ वहाँ सबसे ज्यादे बाहरी लोग आकर बस गये और इन जगहों पर सबसे अधिक आदिवासियत खत्म हुई। अतः हम बाहरी भाशा संस्कृति के प्रभाव में आकर उसे अपनाने लगे और इससे भी हमारी भाषा संस्कृति क्षीण हो रही है।

12. हीन भावना से ग्रस्त – बाहरी लोगों ने हमें हमेषा से जंगली, अविकसित, असभ्य और हमारी खान–पान, पहिरावा, बोली और बर्ताव इत्यादि का मजाक बनाया, हमें तिरस्कृत किया और नीचा दिखाया जिससे हम हीन भावना से ग्रसित होते चले गये और हमने अपनी भाशा संस्कृति की उपेक्षाकर बाहरी भाशा संस्कृति को ज्यादा तरजीह देना उचित समझा। अतः अपनी अज्ञानता के कारण अपनी ही भाषा संस्कृति को हमने परित्याग करना षुरू कर दिया।

13. कुँड़ुख़ समाज में अवधारणा – गाँव में ऊराँव समाज की जीवन पद्धति में समानता रहता है चूँकि उनका आर्थिक स्थिति और पेशा एक बराबर होता है। परंतु वही गाँव से लोग जब दूर षहर में नौकरी पेषा या रोजगार में चले जाते हैं तथा षहर में ही अन्य समाज के लोगों के साथ जीवन यापन करते हैं तो उनके रोजमर्रा की जीवन पद्धति में काफी बदलाव होता है तथा उनकी आर्थिक स्तिथि भी पहले से अच्छी हो जाती है और अपना जीवन स्तर अपने षहरी पड़ोसियों के बराबर ही बनाये रखने की भी बाध्यता महसूस होती है। अतः इस नये परिवेष में, वो गाँव वालों से अपने षहरी जीवन स्तर के अनुसार ही एक आदर सम्मान की आषा रखते हैं। साथ में उनके गाँव घर के लोग भी उनकी आर्थिक स्तिथि और जीवन स्तर को देखकर कुछ आर्थिक मदद की अपेक्षा करते हैं ताकि उनका जीवन स्तर भी उन्हीं के बराबर रहे। इससे उनका गाँव घर जाने का सिलसिला कम होने लगता है और इस तरह से उनके बच्चे अपनी भाशा संस्कृति से वंचित हो जाते हैं।

14. पारंपरिक कानून व्यवस्था – सरकारी कोर्ट कछाइरी के आ जाने से भी धीरे धीरे लोग अपने पारंपरिक पंच और पड़हा व्यवस्था को छोडकर फैसले के लिये कोर्ट की ओर रुख करने लगे हैं।

उपरोक्त कोई भी कारणों से या कई सारे कारणों के परिणाम स्वरूप और या कुछ अन्य कारणों से भी आजकल आदिवासी सामूदायों में भाशा, पहिरावा, अचार विचार, जीवन मूल्य, धार्मिक आस्था और जीवन दर्षन या यों कहें उनकी संस्कृति में भिन्नता देखने को मिल रहा है। अतः, यद्यपि हम सब हैं तो एक ही समाज से, पर उपरोक्त कारणों से यहाँ तक कि आदिवासी षब्द में भी षायद स्पश्टतापूर्वक एकरूपता की कमी है, या ये बोलें हमारी आदिवासियत ही धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है।

छिन्न भिन्न होती आदिवासियत के दुश्परिणामरू आदिवासियत का छिन्न–भिन्न होना आदिवासी समुदायों के लिए कई गंभीर दुश्परिणाम ला रहा है। ये परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृश्टिकोण से हानिकारक हो रहे हैं जिससे वो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

कुछ प्रमुख दुष्परिणाम के उल्लेख निम्नलिखित हैं –

1. सांस्कृतिक क्षति –

• पारंपरिक ज्ञान और भाषा का ह्रास आदिवासी समुदायों की भाशाएँ और पारंपरिक ज्ञान खत्म हो रहे हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही है।

• रिवाज और परंपराओं का विनाश – त्योहार, नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ धीरे–धीरे समाप्त हो रही हैं, जिससे सांस्कृतिक पहचान खो रही है।

2. सामाजिक अस्थिरता –

• सामाजिक संरचना का विघटन – समुदायों के बीच पारंपरिक सामाजिक बंधनों और प्रणालियों का कमजोर होना भी शामिल है, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है।

• सामाजिक बहिष्कार – मुख्यधारा की संस्कृति में घुलने–मिलने के प्रयास में, कई बार आदिवासी लोग अपनी जड़ों से कट रहे हैं और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं।

3. आर्थिक समस्याएं –

• आजीविका का नुकसान – पारम्परिक खेती, शिकार और वनोपज पर आधारित आजीविका के साधनों का नुकसान, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।

• भूमि और संसाधनों का अधिग्रहण – औद्योगिकीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण, जिससे उनका जीवनयापन मुश्किल होता जा रहा है।

4. पर्यावरणीय प्रभाव –

• वन्य जीवन और पारिस्थितिकी का विनाश – आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई और खनन जैसी गतिविधियाँ, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है।

• जलवायु परिवर्तन – पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान का ह्रास, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता कम हो रही है।

5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य –

• मानसिक तनाव – सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के क्षरण के कारण आदिवासी समुदायों में मानसिक तनाव और अवसाद की समस्याएँ बढ़ रही हैं।

• स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का ह्रास और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं।

6. राजनीतिक और अधिकारों का हनन –

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी – आदिवासी समुदायों की आवाज और प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, जिससे उनकी समस्याएँ और अधिक उपेक्षित हो रही हैं।

• मानवाधिकारों का उल्लंघन – भूमि और संसाधनों के अधिग्रहण में मानवाधिकारों का उल्लंघन, जिसमें हिंसा और विस्थापन हो रहे हैं। अतः आदिवासी समाज का बेदखल हो रहा है जिससे कि शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है।

इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं की सुरक्षा और संवर्धन, आर्थिक सहायता और विकास, और उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से इन समुदायों के सशक्तिकरण में सहायता मिल सकती है।

आदिवासियत सहेजने की जरूरत एवं उपाय – आदिवासियत को सहेजने की आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि – (क) यह वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, (ख) यह सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और (ग) पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएँ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में सहायक हो सकती हैं। यहाँ कुछ उपाय और कदम दिया जा रहा है जिनसे आदिवासियत को संरक्षित किया जा सकता हैरू

1. सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा –

भाषा संरक्षण –

• आदिवासी भाषाओं की शिक्षा और प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना। स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना।

• भाषाई दस्तावेजीकरण और अनुवाद परियोजनाओं को समर्थन देना।

परंपराओं और त्योहारों का संरक्षण –

• स्थानीय त्योहारों, नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।

• सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों की स्थापना करना, जहाँ आदिवासी कला और इतिहास को प्रदर्शित किया जा सके।

2. आदिवासियों के धर्म की पहचान एवं संरक्षण – आजादी के पहले की तरह ही, जनगणना के कॉलम में आदिवासियों का एक विशिश्ट और पृथक कॉलम होना चाहिये, जिससे कि उसकी अपनी अस्मिता हो और वो

अपने धर्म और विश्वास को गर्व से अक्षुण रख सके।

3. आर्थिक सशक्तिकरण –

आजिविका के साधनों का विकास –

• पारम्परिक कृषि, वनोपज और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना।

• आदिवासी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना और व्यापार को समर्थन देना।

शिक्षा और कौशल विकास –

• शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना।

• स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

4. सामाजिक और पर्यावरणीय संरक्षण –

पर्यावरण संरक्षण –

• वनों और जल संसाधनों की रक्षा करना, जो आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

• पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाना और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

सामाजिक संरचना की मजबूती –

• आदिवासी नेतृत्व और पंचायत प्रणाली को समर्थन देना।

• महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दे।

5. कानूनी और राजनीतिक संरक्षण–

कानूनी अधिकारों की रक्षा –

• आदिवासी भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनों का प्रवर्तन।

• आदिवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व –

• आदिवासी समुदायों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।

• स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में आदिवासियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

6. शिक्षा और जागरूकता –

शिक्षा के माध्यम से जागरूकता –

• आदिवासी इतिहास, संस्कृति और उनके योगदान के बारे में प्रारम्भिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होना चाहिये।

• गाँव में पारंपरिक धुमकुड़िया शिक्षा व्यवस्था की भी शुरुवात होनी चाहिये।

• मुख्यधारा के समाज में आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता और समझ को बढ़ानी चाहिये।

इन उपायों के माध्यम से आदिवासियत को सामुदायिक भागीदारी, सरकारी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सहेजा जा सकता है, जिससे न केवल आदिवासी समुदायों का विकास होगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी। पर अबतक उरांव समाज खुद सजग होकर इसे सहेजने की कोशिश नहीं करता है तबतक ये क्षिन्न भिन्न होती रहेगी।

आज के इस सामाजिक परिवेश में, ब्रिटिश हुकूमत के आगमन के पहले, राजतंत्र के समय में जो वेशभूषा, पहिरावा और संस्कृति थी, उसको संरक्षित रखने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और शायद इसे हु–ब–हू संरक्षण रखना संभव न हो, परंतु उनकी आदिवासियत को उनके जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों को अवश्य ही संजो के रखा जा सकता है जिसे मशहूर आदिवासी कवित्री जसींता केरकेट्टा के आदिवासियत की व्याख्या 'मेरा आदिवासी होना' की परिकल्पना से कर सकते हैं –

मेरा आदिवासी होना।। न साड़ी, न खोपा, न गोदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम ? अकसर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूं धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है, प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है, नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बन्धन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। और अपने सुन्दर होने के सारे चिन्हों के साथ ज्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया है कोई गहना और गोदना और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना। तो मैं चाहती हूं बदले समय में नये सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर आदिवासी होना।

सम्पर्क हेतु – आयनावरम, चेन्नई
मोबाइल न. 94450 05094
Email: baÛlab65@gmail-com

5. परम्परागत आदिवासी समाज और डिलिस्टिंग विषयक राजनीति

श्री गजेन्द्र उरांव उर्फ नाना जी उम्र 72 वर्ष थाना सिसई जिला गुमला के रहनेवाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्कूली शिक्षा में बे 9वीं पास हैं। उनका कहना है कि बचपन में उनके माता पिता स्कूल भेजने के स्थान पर बैल–बकरी चराने के लिए भेजते थे। इसपर कार्य में उनका दिल नहीं भरा और वे बड़े भाई के साथ बोकारो के कोयला खादान में काम करने चले गए। पर वहां रहकर खादान में काम करने में भी मन नहीं लगा। फिर वे वापस गांव चले आए। गांव आकर अपने से 6–7 वर्ष छोटे उम्र के साथियों के साथ गांव के स्कूल आर. सी.मिशन यू.पी. स्कूल सैन्दा (सिसई, गुमला) में नामांकन कराये। वहां 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद वे राजकीय मध्य विद्यालय, सिसई में दाखिला लिये और वहां से आगे बढ़कर संत तुलसी दास उच्च विद्यालय, सिसई में दाखिला लेकर 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की। कई पारिवारिक कारणों से वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाये, परन्तु गांव में रहकर वे ग्रामीण शिक्षा जैसे विषयों में पारंगत बने।

श्री गजेन्द्र उरांव जी का सामाजिक विषयों पर बारिकी एवं पारखी नजर है। पम्परागत आदिवासियों के बीच का सामाजिक आन्दोलन हो या धार्मिक आन्दोलन, वे मुखर होकर बोलते हैं। श्री गजेन्द्र जी बतलाते हैं कि – परम्परागत आदिवासी समाज के लोग किस तरह ततकालीन बिहार का आकाल 1966–67 के दौर में भूख मिटाने के लिए ईसाई मिशनरी संगठनों की पैरोकारी की और झूण्ड के झूण्ड गिरजाघरों में शरणागत हुए। राज्य सरकार की सरकारी मशीनरी की मदद के लिए आगे आये गिरजाघरों ने अवसर का भरपूर लाभ लिया, जो समय की धारा में निरंतर बहता गया। इसी उतार–चढ़ाव में बाबा कार्तिक उराँव, लोहरदगा संसदीय क्षेंत्र से सांसद चुने जा चुके थे। कार्तिक बाबा पहली बार चुनाव हारने के बाद वे परम्परागत आदिवासी समाज की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, पड़हा का नवजागरण हेतु 1962 में आह्वान कर चुके थे। क्षेत्रीय स्तर पर इस पड़हा नवजागरण का नेतृत्व श्री भिखराम भगत जी कर रहे थे।

इन दिनों आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बाबा कार्तिक उराँव का नाम परम्परागत आदिवासी समाज तथा ईसाई आदिवासी समाज के बीच वाद–विवाद में अकसरहाँ आ ही जाता है। परम्परागत उरांव समाज के लोग बाबा कार्तिक उरांव को अपना मार्ग दर्शक मानते हैं, पर ईसाई उरांव लोग उनके नाम पर आग बबुला हो जाते हैं। इस विवाद का जड़, मुख्य रूप से दो कारण माना गया है – 1. ईसाई आदिवासी लोगों द्वारा आरक्षण का दोहरा लाभ लिया जाना तथा 2. परम्परागत संस्कृति रीति–रिवाज के स्थान पर यूरोपीय सभ्यता–संस्कृति को अपनाकर, अपने से कमजोर आदिवासियों पर जबरन मन परिवर्तन कराना, कहा गया है।

वैसे जनजातीय आरक्षण का लाभ तो आजादी के बाद दोनों ही समूह के लोग ले रहे हैं। परन्तु अल्पसंख्यक कल्याण आरक्षण का लाभ, सिर्फ ईसाई आदिवासी समाज के लोगों को ही मिलता है। इस संदर्भ में कार्तिक बाबा ने अपनी पुस्तिका ''बीस वर्ष की काली रात'' में कहा हैं कि – कल्याण के कार्य में यदि – 5.53 प्रतिशत ईसाई को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 192 रू0 खर्च होते हैं, तो 95.47 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को प्रति व्यक्ति 74 पैसे खर्च होते हैं अथवा यों कहिए कि अनुसूचित जन जाति के कल्याण पर अगर 01 रूपया खर्च होता है तो एक ईसाई आदिवासी के कल्याण पर 255 रूपये खर्च हो रहे हैं।

इसी तरह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने तथा संचालन करने का विशेष कानूनी प्रावधान मिला है। जबकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को यह लाभ अथवा व्यवस्था नहीं नहीं है। इस कानून का लाभ ईसाई आदिवासियों द्वारा अपने समूह के लोगों के लिए किया गया और वे राष्ट्र

की मुख्य धरा में जुड़ते गये। ईसाई लोगों को अल्पसंख्यक स्कूल–कालेज तथा संस्थान खेलने तथा अपने तरीके से संचालन करने की छूट है, जिसपर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का सीधा प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं है। पता नहीं, देश की जनता एवं सरकार, जनजातीय कल्याण के इस पहलु पर ध्यान भी है या नहीं ?

इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चिंतन–मंथन कर तथा समाज की दुर्दशा के कारणों को ढूंढ़ते हुए बाबा कार्तिक उराँव द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन विधेयक 1967, दिनांक 10 जुलाई 1967 को लोकसभा में प्रविष्ट कराया गया। इसपर विचार–विमर्श के बाद लोकसभा की संयुक्त समिति को सौंपा गया। इस संदर्भ में 17 नवम्बर 1969 को लोकसभा की संयुक्त समिति का सिफारिश शामिल किया गया। इस रिर्पोट के अनुसूची 2 कंडिका (2अ) में यह भी था कि – ''2अ० कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई, इस्लाम आदि धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।''

लोकसभा की संयुक्त समिति ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था। इसपर लोक सभा में 01 वर्ष तक बहस नहीं हुई। इस सिफारिश पर भारत के कोने–कोने से देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर ईसाई मिशनरियों का दबाव आने लगा। इस क्रम में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ईसाई सांसदों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वे संयुक्त समिति की सिफारिश को विरोध करें।

दूसरी ओर बाबा कार्तिक उरांव द्वारा 348 संसद सदस्य (322 लोकसभा तथा 26 राज्यसभा सदस्य) के हस्ताक्षर के साथ, दिनांक 10 नवम्बर 1970 को संयुक्त समिति की सिफारिश को लागू करने हेतु सरकार के सामने रखा गया। इस विधेयक पर दिनांक 16 नवम्बर 1970 से लोकसभा में बहस आरंभ हुआ। इसी बीच दिनांक 17 नवम्बर 1970 को सरकार की ओर से विधेयक में संशोधन करते हुए संयुक्त समिति की सिफारिश को विधेयक से हटा दिया गया। सरकार में दो ईसाई उपमंत्री थे, जिन्होंने संशोधन विधेयक का स्वागत किया तथा संयुक्त समिति की सिफारिश का विरोध किया। इस विधेयक पर कार्तिक बाबा दिनांक 24 नवम्बर 1970 को 55 मिनट तक बहस किये। विधेयक पर बहस करते हुए अंत में उन्होंने कहा – ''या तो संयुक्त समिति की सिफारिश को हटाया जाए या कार्तिक उरांव को इस दुनिया से हटा दिया जाए।'' लोकसभा में सदन की गंभीरता को देखते हुए विधेयक पर उसी सत्र में विधेयक पर बहस कराने के आश्वासन पर स्थगित किया गया। परन्तु दिनांक 27 दिसम्बर 1970 को लोकसभा भंग हो गई और आदिवासी समाज के जीवन में ज्योति नहीं आयी।

उपरोक्त संदर्भ में डिलिस्टिंग जैसा विषय, वैसे लोगों के साथ चर्चा में आती है जो आदिवासी से ईसाई बने हों। पर यदि धर्म ही आधार है तो आदिवासी से मुस्लिम बने लोगों पर चर्चा क्यों नहीं होती है ? यह तथ्य है कि भारत देश के कई हिस्सों में आदिवासी से मुस्लिम बने लोग आज भी अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में देश की बड़े राजनैतिक दल, क्या, आदिवासियों के साथ न्याय कर पाएंगे या बड़ा राजनैतिक दल आदिवासियों को वोट बैंक का स्रोत मात्र मानते रहेंगे ??

संदर्भ :– बीस वर्ष की काली रात –
लेखक स्व० कार्तिक उरांव।
शोध एवं संकलन :– सुश्री नीतु साक्षी टोप्पो,
डिबीडीह, रांची एवं श्री गजेन्द्र उरांव,
सिसई, गुमला।

6. एन०ई०पी० 2020 एवं आदिवासी समाज में धुमकुड़िया की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), देष में लग चुका है। यह शिक्षा नीति, झारखण्ड में वर्श 2022 से लागू है। इसके तहत आदिवासी बहूल क्षेत्र में 5 आदिवासी भाशा (कुँडुख़/उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो एवं संताली) को मातृभाषा के रूप में 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई–लिखाई कराये जाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। इस राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झारखण्ड वासियों के लिए त्रिभाषा शिक्षा (हिन्दी, अंगरेजी और मातृभाषा) नीति को आधार बनाया गया है।

यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा या शिक्षा वाटिका शिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमषः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्श का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्श, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू. के.जी में 1 वर्ष की तरह शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 बर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उतीर्ण करेगा। उसके बाद 5+3+3+4 में से पहले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे, क्रमशः 3रा, 4था एवं 5वाँ कक्षा तय करेगा तथा उक्त 5+3+3+4 में से अगले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमषः 6ठा, 7वाँ, 8वाँ कक्षा तय करेगा। इसी तरह उक्त 5+3+3+4 में से अंतिम 4 वर्श के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां कक्षा तय करेगा। इस नई योजना में 10वां बोर्ड को निरस्त किया गया है। अब 10वीं के स्थान पर 12वीं बोर्ड होगा।

वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व षिक्षा योजना हेतु 3 साल के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्श से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा या शिक्षा वाटिका शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जोड़ा जाता है तो यह प्रष्न उठेगा कि – क्या,सभी (कुँडुख़/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ उक्त भाषा एवं उस भाषा की लिपि में लिखाई पढ़ाई नहीं जानते हैं। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार–विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

वैसे पूर्व में सभी गाँव–टोला में अवस्थित पारम्परिक सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया में उराँव समाज के बच्चों को 7वें वर्श में प्रवेश कराया जाता था। प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चों के लिए बैठने के लिए कण्डो या पिटरी, रोषनी के लिए टट्ठी और करंज तेल के साथ माघ महीने में धुमकड़िया पहुँचाया करते थे। आरंभिक समय में लड़के–लड़कियाँ सभी साथ–साथ उठते–बैठते तथा जीवन जीने के तरीके सीखा करते थे। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होने के साथ जब उनका मासिक धर्म आरंभ होता था तो उन्हें पेल्लो एड़पा प्रवेश कराया जाता था। पेल्लो एड़पा में लड़को का प्रवेश वर्जित होता था। धीरे–धीरे उम्र बढ़ने के साथ शादी के लिए बातचीत तय होने पर लड़के–लडकियों को धुमकुड़िया से विदाई दी जाती थी। उरांव आदिवासी लोगों में धुमकुड़िया, एक सामाजिक पाठशाला सह कौशल विकास केन्द्र रहा है। धुमकुड़िया में 4 से 6 वर्ष के बच्चे खेल–खेल में धुमकुड़िया के कार्यों में शामिल होते हैं, पर सामाजिक विधान के अनुसार उन्हें 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश कराया जाता है।

इस पारम्परिक धुमकुड़िया में सुनकर बोलने तथा देखकर बोलने की कला विकसित थी, परन्तु देखकर लिखने एवं पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, जिसके चलते पारम्परिक धुमकुड़िया, आधुनिक स्कूल का सामना नहीं कर पाया और समय की तुलना में पिछड़कर, बिछड़ गया।

इस विषय पर कई सामाजिक चिंतक एवं शिक्षाविद, धुमकुड़िया के पुनर्जारण की बातें करते हैं। अब तो कई अधिकारी भी धुमकुड़िया पुनर्जागरण को अच्छा मान रहे हैं। इस संदर्भ में झारखण्ड के प्राशासनिक अधिकारी पर दिनांक 13 मार्च 2022 को सम्पन्न ''कुँड़ुख़ भाषा, शिक्षा एवं धुमकुड़िया'' विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल नें कहा – ''आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के उपाय पर भी कार्य करना होगा। सरकार द्वारा ''धुमकुड़िया'' निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, पर धुमकुड़िया की आत्मा को जगाने का कार्य तो समाज के लोग ही करेंगे।'

वर्तमान परिस्थिति में धुमकुड़िया का संवर्द्धन समय की मांग है। स्कूली शिक्षा के साथ सामाजिक षिक्षा भी दिया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उम्र के बच्चों को शिक्षा तथा देखरेख आवश्यक है। इन दिनों ग्रामीण क्षेंत्र में छोटे बच्चों को देखरेख तथा समाज में जीवन–यापण के तरीके पर गौर करने की कमी दिखती है।

परम्परागत आदिवासी समाज को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है –

1. वर्तमान नई षिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें पूर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी को स्थान दिया गया है, परन्तु वर्तमान समय में अधिकतर आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं मातृभाषा शिक्षा मे निपुण नहीं होने के चलते मातृभाषा शिक्षा योजना की बेहतरी की उम्मीद कम है। पर सरकारी व्यवस्था में यदि परम्परागत धुमकुड़िया शिक्षा व्यवस्था को स्थान मिलने से आदिवासी समाज के बच्चे अपनी सामाजिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा में भी बेहतर कर सकते हैं।

2. NEP 2020 के अन्तर्गत पूर्वशाला या आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के लिए Para teacher के अनुशिक्षक एवं सरकारी पठन–पाठन सामग्री सरकारी व्यवस्था से सहायता मिलनी चाहिए ? वर्तमान समय में सरकारी पठन–पाठन सामग्री का आधार हिन्दी एवं देवनागरी लिपि है। जबकि कुंड़ुख़ भाषा की अपनी लिपि, तोलोंग सिकि भी है एवं झारखण्ड तथा प0 बंगाल सरकार में मान्यता प्रदत्त है। ऐसे में मातृभाषा शिक्षा, तोलोंग सिकि, लिपि में लिप्यंतरन करके किया जा सकता है।

3. आधुनिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के बाद आदिवासी परम्परागत शिक्षा व्यवस्था चकनाचूर हो गया और आदिवासी समाज आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के चाटुकारिता में फंसता गया। आज के समय में शहरी क्षेत्र में अभिभावक अपने बच्चों को संभाल ले रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक इस चुनौति का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाना समझा जाता है जो षायद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए पूर्ण आजादी का कारण बनता जा रहा और 9वीं–10वीं कक्षा तक पहूंचते–पहूंचते वे संभल नहीं पा रहे और डर एवं सामाजिक दबाव में ईंट भटटा में काम करने जाने लगे हैं। शायद आदिवासी समाज सरकरी योजना का लाभ बेहतर ढंग से नहीं ले पा रहा हो। इस स्थिति में धुमकुड़िया शिक्षा बेहतर विकल्प हो सकता है।

4. गांव स्तर में बच्चों की कमतर शिक्षा के कारण लोग नशाखोरी के चक्कर में फंसते जा रहे रहे हैं। यदि

वाल्यकाल में धुकुड़िया के माध्यम से शिक्षा का बेहतर अवसर मिले तो नई पीढ़ी को नशापान एवं Drug addiction से बचाया जा सकता है।

5. वर्तमान समय में आदिवासी समाज में एक अलग तरह की परिस्थिति बन गई है। गांव घर के युवा या मर्द किसी के खेत में मजदूरी करने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार 2 रूपये किलो चावल दे रही है तो दूसरे के खेत में मजदूरी क्यों करें । अब मर्दों की ऐसी मानसिकता ने उनका अपना खेत भी बंजर बनता जा रहा है। इसी तरह गांव के कम पढ़े लिखे मर्द, नशाखोरी और आलसीपन ने परिवार के प्रति गैरजिम्मेदार होते जा रहे हैं और परिवार में आकस्मिकी के समय जमीन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति से बाहर आने के लिए समाज में धुमकुड़िया षिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना होगा, जो बचपन से ही बच्चों को अपने एवं परिवार के प्रति जबाबदेह और जागरूक कर सके और समय पर सामाजिक स्तर पर मदईत–पसरी के माध्यम से समाज एवं परिवार के हित में कार्य कर सके।

6. इन दिनों गांव स्तर में बच्चों की शिक्षा का स्तर गिरने के चलते, वे षहर के बच्चों से पिछड़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति से निपटने कि लिए सरकार एवं समाज को मिलकर धुमकुड़िया में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे बचपन से ही गांव के बच्चों का भी नई तकनीक पर ध्यान जाने से वे षहर के बच्चों के साथ मुकाबला करने के लिए धुमकुड़िया के माध्यम से शिक्षा का बेहतर अवसर का लाभ ले सकेंगे।

इन सबके होते हुए नई शिक्षा नीति 2020 आने वाले समय में आदिवसी बहुल क्षेत्र में मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से समाज में जागषति तथा शिक्षा के प्रति उत्साह जगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति के लिए ग्रामीण स्तर में मातृभाषा शिक्षा, अपने परम्परागत तरीके के साथ अर्थात धुमकुड़िया शिक्षा के साथ आधुनिक तरीके का समायोजन करते हुए देश की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के विकास का द्वार खोला जा सकता है।

शोध–संकलन –
डॉ० नारायण उरांव ''सैन्दा''
ग्राम – सैन्दा, थाना – सिसई,
जिला – गुमला, झारखण्ड।
मो0न0 – 9771163804

7. बसा–नना गे सेन्दरा दिम बिसुसेन्दरा बाताःरा (सोनो–रूपो गिधि गही लवरना)

(उराँव समुदाय एवं सेमल पेड़ और दो गिद्ध की पौराणिक लोक–कथा)

बअ़नर हुल्लो परिया नु कुँडुख़ खोंड़हा ओंगओल अकय ससईत नु रहचा। एँड़ गोटंग सोनो गिधि–रूपो गिधि (Whate Vulture) आल जियन केरमे–केरमे पिटा–मुंज्जा लगिया। आद आःलर गही उगता–पगसिन ओन्टे कोहाँ ले सराहरा सिम्बाली मन्न नु खोता कमआ लगिया अरा आःल ख़द्दारिन नेप्पा–नेप्पा तंगआ खोता मइय्याँ तंगआ ख़द्द गे चरा कमआ लगिया।

आ सोनो–रूपो गिदही 12 चान नू ओंगओल बरगी राःजी ती बरअम लगिया अरा आल ख़द्दारिन नेप्पा की होआ लगिया अरा तंगआ खोता नू तंगआ ख़द्द गे चरा कमआ गे पिटा लगिया। बअ़नर अदि गही बरचका ख़ोख़ा एका–एका से उल्ला कट्टा लगिया अन्नेम नितकिम ओरोत आल जिया खोंडहा ती नठारआ लगियर। गोट्टे खोंड़हा नु हुही चूःचकी रहचा का एँड़ गोटंग सोनो–रूपो गिधि बरई दरा आल ख़द्दारिन निप्पी–पिसी दरा पिटी–मूःखी। खोंड़हा ता आःलर जुलुम जुट्ट लग्ग ईरयर पहें अदिन लवआ पोल्लर। सोनो गिधि अंजखंज परता मझी कोहाँ अरा सुरंग ले सिम्बाली मन्न मईय्याँ तंगआ खोता कमआ लगिया, एकसन अँड़सर की अदिन लवअ़ना, खोंड़हा ता आःलर गे मसकिल मंज्जकी रहचा। पद्दा ता आःलर अदिन लवआ गे पद्दा गईनका जुमुरअर की सेन्दरा बेःचा लगियर पँहे अदिन लवआ पोल्लर।

अन्तिले खड़िदयर, हाःरचर की धरमे सिन गोहरारआ हेल्लर – अना धरमे, नीन एमन उरमिन सिरजन–बिरजन नंज्जकय अरा पोसआ–पर्दआ लगदय। नीन उरमी नु उंग्गु अरा ओरमर ही उरबय तलदय। नीनिम एमन बछाबअ़दय नेकआ। एःम गा एमहय पया–पूरती नंज्ज ईःरकम पहें ससईत ती उरखा पोल्ला लगदम। एःम नेःकन हूँ ससईत मल ननदम पँहे एःम ससईत ती बछरआ पोल्ला लगदम। अक्कु धरमे निंगहय दिम भरसा, निंगहय तिम असरा, नीनिम एमन अरा आल जियन बछाबअ़दय नेकअन।

गोट्टे आल ख़ोंड़हा का, कुँडुख खोंड़हा ही एन्ने भभनारना मलता ओहरा बिनती ननना धरमे संवग गूटी अँड़िसया केन्धेल अरा राःजी किर्रना ही बेड़ा बरना रहचा केन्धेल का अन्ती धरमेस ही लिला, का धरमे सवंग गही छया–भया ! उन्दुल ओन्टा ठेपरा जोंःख़स पूरबे तरती कुँड़ख़र गही पद्दा मझी डेरा–बसा बेद्दा गे अँड़िसयस। बअ़नर आ कुक्कोस ही मुहटन एःरर की पद्दा ता जोंःख़र अनभनियाँ अलखनर अरा आःसिन चिड़िगनुम–पड़गनुम पद्दा ती तरकूटी नना चिअ़आ लगियर। एन्नेम ई पद्दा ती आ पद्दा मन्नुम–मन्नुम धुँधरूक मना हेल्लरा। बीःड़ी पुत्तना बेड़ा नु आस ओन्टे पद्दा कूटी ता ओन्टे रँढ़िया पच्चो (विधवा वृद्ध बुढ़िया) ही एड़पा अँड़िसयस। असन अँड़सर आ पच्चो हेद्दे माःख़ा बारी पाही रअ़आ गे ओहरा नंज्जस। पच्चो बाःचा – बरा जुनु अन्ति बेटा, एंगहय गा ख़द्द न ख़र्रा, नीन रअ़ओय होले एंग्गा हूँ दःव लग्गो अरा एंगहय जिया हूँ साःलो। अन्तिले आ ठेपरा जोंःख़स रँढ़िया पच्चो गही एड़पा नु रअ़आ

हेल्लरस। पच्चो एका बाःरी नलख गे बहरी काःलो आ बेड़ा नू आ जोंःख़स पच्चो ही एड़पा ता नलखन पँड़सा चिअ़आ लगियस। पच्चो लस्सी नना गे बहरी काःलो का ओना–मोख़ा गे खुरजी समा नना काःलो होले आ जोंःख़स एड़पा ता नलखन चेमचेम ले नंज्जका रओस। पच्चो हूँ आस ही नलखन एःरर खुसमाःरआ लगिया अरा तंग नत्तीस लेखआ घोखअर की आःसिन एमतआ ख़जरतआ हेल्लरा। पच्चो ही एड़पा नु रअ़नु–रअ़नुम आ जोंःख़स चेमचेम लेकन रआ हेल्लरस। अन्तिले आस पद्दा ता जोंःख़र–पेल्लर गने ओक्का–ईजआ हेल्लरस। आ ठेपरा जोंःख़स सेन्दरा बेःचना नु पंखराज रहचस। अवंगे पद्दा ता जोंःख़र आःसिन पईत्तआ हेल्लरर अरा सेन्दरा बेचना नु मुन्धहारे नना हेल्लर। आस ओन्द रज्झ नु कोंहा–कोंहा तोम्बन खण्डा चिअ़आ लगियस। एकअम कोहाँ बनयाँ किंको आस ही छमहें ती कट्टा पोल्ला लगिया। सेन्दरा बेःचना नु पंखराज रअ़ना चड्डे पद्दा–ख़ेप्पा अरा अहटा–पहटा ता जोंःख़र–पेल्लर आस गही कत्थन मेना हेल्लरर। ठेपरा जोंःख़स हुं ओरमा ख़द्दर अरा जोंख़–पेल्लारिन अनआ–मनआ दव कत्था अरा लूरन तेंग्गा लगियस। ठेपरा मननु हुं पंखराज अरा लूरगर मनना चड्डे आःसिन खोंड़हातर लिटिबीर बअ़आ हेल्लरर। खोंड़हा नु बरना अरा खोंड़हा गने रअ़ना दोयमून्द बछर (12 चान) पूरआ हेल्लरा। अन्ने बेड़ा नुम उन्दुल खोंड़हा ता आःलर आ रँढ़िया पच्चो ही एड़पा बरचर दरा पच्चोन चिड़िगयर अरा बाःचर – निंग नत्तीस लिटिबीर भईर बाःरओस का नलख हुं ननोस। निंग नत्ती सिन आःनय, आःसिम ई ससईत ती बछरना गही उरजिस तेंग्गोस अरा ननोस। अन्तिले पच्चो लिटिबीर सिन बाःचा – एरा नतिया अक्कु नीःनिम खोंड़हन उबार नना ओंग्गोय।

पच्चो अरा पद्दा ता आलर गही कत्थन मेनर आ जोंःख़स पद्दियारिन धिरजा (ढाढ़स) चिच्चस का – आस आ सोनो गिधिन पिटोस दरा नठाबओस चिओस। आ लिटिबीर ठेपरा जोंःख़स बाःचस – एंग्गा 12 मन गही ओन्टा एड़ेथ (धनु) अरा 05 मन गही मून्द (तीन) गोटंग कन्ना अरा 7 मन गही ओने टोंग'ए कमतआ चिअ़आ। जोंःख़स गही कत्थन मेनर ओरमा पद्दियर आ जोंःख्स गही आईनका बेसेम एड़ेथ–कन्ना अरा टोंग'ए कमतआ हेल्लरर। इबड़ा संजगी कमरका ख़ोःख़ा पद्दियर संघड़ा नना–नना जोंःख़स गही तिंगका बेसेम सोनो गिधि गही रअ़ना अड्डा तरा होच्चर। सोनो गिधि हूँ पँइय्या गलि मुँजुरना ख़ोख़ा बिड़ना गलि ओःरे मनना बेड़ा नुम अन्धवारनुम बरआ लगिया अरा आःलारिन नेप्पा–पेसा लगिया। एन्नेम बेड़ा कट्टिया अरा सोनो गिधि ही ससईत बेड़ा अँड़सा हेल्लरा। पईयाँ बोंग्गना अरा बिड़ना ओरे मनना बेड़ा नु आद बरचा अरा आ सरा–हरा कोहाँ सिम्बाली मन्न नुम खोता अट्टिया अरा बी टिड्डा दरा लेद्दा ख़द्द ही उड़ान मनना गूटी खोता नुम तंगआ ख़द्दारिन पोःसआ गे आलारिन नेप्पा–पिटा की चरा कमआ गे अजगो–इजगो कुद्दा हेल्लरा। इबड़ा कत्थन पद्दा ता जोंःख़र, आ लिटिबीर ठेपरा जोंःख़ासिन तिंग्गयर। इजगो लिटिबीर ठेपरा जोंःख़स ही डिड्ढ़ ती (साहस से) पद्दियर सेन्दरा बेःचा ओरे नंज्जर। अंजखंज परता मझी सुरंग ले कोंहा सिम्बाली मन्न मईय्या अरगना नरमहा आलर गे बाईह पोल्ला मना लगिया। अदि संग्गेम सोनो गिधि गही खिलपईत, एका तरती बरओ दरा नेःकन पेसो की होओ अदिन ने हूँ अख़आ पोल्ला लगियर। अन्ने बेड़ा नु आ सिम्बाली मन्न गुसन काःला गे ओरमर एलचा लगियर। एन्नेम कुद्दनुम–नुंग्गनुम का, तवगर ईरनुम एँःड़ उल्ला (दो दिन) कट्टिया केरा। मून्दता उल्ला (तीसरा दिन) सेयान जोंःख़स तंगआतिम आ ओत्था टोंग'एन धरचस दरा टोड़ंग–परता ता अंजखंज अड्डुन चतरआ ओःरे नंज्जस। अंतिले अड्डा कमअर आ ओत्था एड़ेथ–कन्नन असन होच्चस। परता मईय्याँ चपईल मझी एन्ने अड्डा कमचस का सोनो गिधि गे एःरा–नेप्पा खतरी मसकिल मंज्जा केरा। भईर उल्ला अजगो–इजगो मन्नुम कट्टिया अरा सोनो गिधि हू दव ले खोता नु ओक्का रहचा। अन्तिले ओःड़ा–ख़ाःख़ा ही खोता नु किर्रना बेड़ा मना लगिया। आ बेड़ा नुम सोनो गिधि तंगहय खोता नु अँड़िसया। इजगो लिटिबीर ठेपरा

जोंःख़स मून्ता कन्ना तुरू रज्झ ले सोनो गिधि गही खोतन खत्ताचस, अदि ख़ोःख़ा एँड़ता कन्ना ती ओन्द रज्झ नुम आ कोंहा सिम्बाली मन्नन हड़हुड़ ना खत्ताचस चिच्चस। खोता अरा डेरा बसन नठारका एःरर सोनो गिधि अंधवारनुम आलर मईयाँ मंडरारआ हेल्लरा, मुन्दा लिटिबीर ठेपरा जोंःख़स ही तिंग्गका उरजिस ती ओरमर तंगअन बछाबअ़आ उंग्गियर। मुंज्जा नु आ ठेपरा जोंःख़स मून्दता कन्ना ती उढ़ियारनुम बर'उ सोनो गिधिन थिथाबाचस दरा अदिन लवचस की खत्ताचस चिच्चस। इदि ख़ोःख़ा ओरमर असन जुम्मरर की आ सोनो गिधिन अरा सिम्बाली मन्नन चिच्च तुरू बस्सियर की एड़पा किर्रयर। नन्ना उल्ला पईरी बाःरी ओरमर तमहँय राःजी किर्रया बअर धरमेस ही नामे ती पुजा–धजा नंज्जर अरा ओण्डर–मोक्खर दरा नलियर बिच्चयर।

अन्तिले ओरमर नन्ना उल्ला पद्दा–ख़ेप्पा अरा अहटा–पहटा तर जुम्मरर की लिटिबीर सिन बेलख़ा ता बेःल चाःजा गे बिद्द ईरयर पहेंस बेद्दा पोल्लर। बअ़नर लिटिबीरस खोंड़हा मजही मल एत्थरस । आस एन्देर केरस का एसते बरचका रहचस अदिन आर बुझुरआ पोल्लर। मुन्दा लिटिबीरस ही तिंग्गका एदाचका बेसे 12 चान नु ओंगओल बिसुसेन्दरा ओक्का हेल्लरर। आ धरमी सवंग गही तिंग्गका बेसेम पईरी–पुतबारी पचगिर जोंख़ारिन अरा जोंख़र सन्नी कुक्के–कुकेयरिन तेंग्गा सिखाबआ हेल्लरर। अन्ने सन्नी बेड़ा तिम सिखिरना अरा सिखाबअ़ना अड्डा दिम धुम ताअ़ कुड़िया अरा धुम–धुम कुड़िया ती धुमकुड़िया बाताःरा। अवंदा बेड़ा नु आस कुंड़ुख़ खोड़हन दव कुना सइमटाःचस, ससईत ती बछाबाःचस दरा डहरे एःदअर तंगहय राःजी किर्रयस केरस। अख़'उर बाअ़नर आस देव आलस तलियस। आःलर ही गोहराःरना ती धरमेस मया ननु देव का मय्हदेव (मया ननु देव) ही रूःपे नु आःलर गुसन तईका रहचस। धरमे सवंग आःलारिन एका रूःपे नु मदईत ननी का एका रूःपे नु दिसतार चिअ़ई अदिन ने हुं पोलनर तेंग्गा। बेड़ा कट्टी, धरमेस ही लिला एःदना मुंज्जुर'ई, अदी ख़ोःख़ा खोंड़हा इंजिर'ई का आद धरमे सवंग गही दिम छया–भया रहचा। ई लेखे धरमे सवंग खोंड़हन बछाबआ गे अवंदा उल्ला आःलर मझी रअ़र खोंड़हन लूर–घोख चिअर डहरे परपन्द नंज्जा। आ बेड़ा तिम धरमे सवंग ही तिंग्गका अड्डा अरा धरमे सवंग ही धरताःचका घोख बाःरनुम धुम–ताअ़ कुड़िया अरा धुम–धुम कुड़िया ती धुमकुड़िया बाताःरा। अन्नेम 12 चान नू ओंगओल ई अकलक ती बछरका ही नाःमे ती सेन्दरा बेःचना दिम बेड़ा खेपते–खेपते, बसा नना गे सेन्दरा बअ़नुम बिसुसेन्दरा बाताःरा। अन्ने गा ख़ोंड़हा तर तमहँय चिता–बुता ती पहईट गईनका 03 चान नू ओंगओल बिसुसेन्दरा ओक्कनर, पहें पुरखर बआ लगियर का राजी बिसुसेन्दरा 12 चान नू उक्की।

बअ़नर बिसुसेन्दरा धरमी सवंग गही तिंग्गका –सिखाबाचका दिम तली। बिसुसेन्दरा बक्क गही मने एन्ने लेखआ बुझुरतार'ई —– बि = बी अरा बिहनी, सु = सुसर ननना। सेन्दरा का अर्थ सोन्दओ ननना अरा रोपड़ो मनना है। हिन्दी में सेन्दरा का अर्थ लोकहित में किसी अन्यायी का जीवन समाप्ति करना है।

नाम ओरमत तंगआ अयंग–बंग्गर गही बी अरा बिहनी तलदत अरा ख़द्दर तमहँय अयंग–बंग्गत गही बी अरा बिहनी तलनर। अवंगे नाम ओरमत गही नलख तली का नमन तंगआ खद्दारिन सुसर नना गे नलख ननोत। अवंगे बाःचका रअ़ई – बी अरा बिहनिन सुसर ननना गे सेन्दरा। ई घोख खोंड़हा ता ख़द्द–ख़र्रर गे बरना बेड़ा ता डहरेन पंग्गे अरा उजगो कमओ।

संकलन एव आलेख –
डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा''
संयोजक,
अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची,
श्री भउवा उराँव
झारखण्ड आन्दोलनकारी सेनानी
ग्राम : मदई, था० : चान्हो, जि० : राँची (झारखंड)

8. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल – 2024

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गाव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी–परम्परा के अनुसार ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा'' का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंच्चों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंड़ारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। बिसुसेन्दरा के पहले दिन अर्थात दिनांक 18 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव के सिर्फ पुरूष लोग गांव–समाज में रूढ़ी व्यवस्था के अन्तर्गत देश के संविधान एवं कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य किये जाने के संबंध में कई पारम्परिक नियमावली को लिखकर संकलन करने पर चर्चा किये। उसके बाद अंतिम दिन अर्थात दिनांक 19 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव की बैठक में महिलाएँ के साथ शामिल हुईं। महिलाओं द्वारा पूर्व की भांति, लोटा में पानी और आम का डहुरा लेकर पुरूषों का स्वागत की। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरूष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे और गांव समाज को आगे ले जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के लिए, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के के लिए तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा गांव के महतो–पहान के लिए अईरपन–सिन्दुर लगाकर ''पड़हा खेवा डांग'' सौंपा गया और वे पुरूषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज–परिवार के लिए जागें और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोकें, अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ। इस वर्ष महिलाओं द्वारा फिर से आह्वान किया गया कि गांव के पहान–महतो बिसुसेन्दरा के अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का संकेतक ''पड़हा खेवा डांग'' को बिसुसेन्दरा में गांव का पड़हा झण्डा के साथ चढ़ावें। इस तरह पुरूष–महिला मिलकर माननीय हाईकोट के संज्ञान पर आह्वान किये – आदिवासी जागरूक हों।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024 की ओर से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

1. माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आदिवासी मामले का निपटारा – आदिवासी कस्टमरी कानून के आधार पर हो। इसलिए बिसुसेन्दरा में निर्णय लिया गया कि – उरांव समाज का कोई भी मामला तीन स्तरीय ''परम्परागत ग्रमसभा न्याय पंच'' व्यवस्था में आना होगा। इनमें से – (क) पद्दा पंच्चा अर्थात ग्राम सभा बैठक करके (ख) पड़हा पंच्चा अर्थात पड़हा बैठक करके (ग) बेःल पंच्चा अर्थात बेल समूह का बैठक करके।

2. पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा बैठक की अध्यक्षता रूढ़ीगत रूप से गांव के पहान द्वारा किया जाएगा तथा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाए। गांव के कोई मामला ग्राम सभा अध्यक्ष के नाम से लिखित शिकायत आवे और ग्राम सभा अध्यक्ष उस शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलावे और गांव के पंच मिलकर न्याय करें। कार्यवाही को ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें और पंच गण हस्ताक्षर करें। इसी तरह पड़हा पंच्चा की बैठक की अध्यक्षता परम्परागत रूप से पड़हा बेल/बेल पद्दा के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। पड़हा बेल के मदद के लिए सभी पड़हा गांव वाले रहें। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा पड़हा बेल एवं पंच गण हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं। तीसरा स्तर – बेल पंच्चा अथवा पड़हा बेल समूह का बैठक। इस बैठक का अध्यक्षता अपने पड़ोस क्षेत्र के 3 या 5 या 7 पड़हा के पड़हा बेल समूह द्वारा किया जाए, जिसकी अध्यक्षता उन 3 या 5 या 7 में से किसी एक मदईत पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा, जिसका चयन शिकायत कर्ता द्वारा किया जाए। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथथ सभी पड़हा बेल एवं पंच हस्ताक्षर करें या अंगुठा निशान लगाएं।

3. प्रत्येक 03 वर्ष में परम्परागत ग्रामसभा न्याय पंच समिति का गठन करें और इसकी सूचना अपने उपायुक्त महोदय को दें। वर्ष 2024 का ''परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल'' द्वारा अनुमोदित निर्णय को महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड, आयुक्त रांची एवं उपायुक्त गुमला अथवा सचिव डालसा, जिला गुमला को सूर्चनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ, भेजें।

ह०/अ०	ह०/अ०	ह०/अ०	ह०/अ०	ह०/अ०
दशरथ भगत	जुब्बी उराँव	मटकु उरांव	गजेन्दर उरांव,	श्री उमेश उरांव
प.ग्रा.प.बि.बेल	प.ग्रा.प.बि.कुहाबेल	प.ग्रा.प.बि.देवान	प.ग्रा.प.बि.कोटवार	प.ग्रा.प.बि.भंड़ारी

9. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँड़ुख़) समाज की रूढ़ीगत सामाजिक न्याय व्यवस्था

– डॉ नारायण भगत एवं डॉ० नारायण उराँव ''सैन्दा''

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - "We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously.

फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- **हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया**
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेत्तर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – ''हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।''

नवभारत छत्तीसगढ़ • ओडिशा Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

रने लगा। इसका विरोध करने पर सिपाही सिपाही को सस्पेंड कर दिया है।

हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि, केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए

परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची एवं छतीसगढ़ के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए **परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल** द्वारा दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से त्रिस्तरीय ''परम्परागत ग्राम न्याय पंच'' नियमावली 2024 के प्रस्ताव को समीक्षोपरांत अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया।

इसके पूर्व 'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विचार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय ''परम्परागत ग्राम न्याय पंच'' – 1. पद्दा बेजपंच्चा (ग्रामसभा करके) 2. पड़हा पंच्चा (पड़हा बैठक करके) 3) बेलपंच्चा (3 या 5 या 7 पड़हा बेल का बैठक कर) की व्यवस्था को मंजुरी दी गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि परम्परा से चली आ रही बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक विधायिका) में सामाजिक नियम कानून तय किये जाएंगे जो परम्परागत आदिवासी समाज को स्वीकार करना होगा। बिसुसेन्दरा में इस निर्णय के बाद – अब गांव के किसी भी मामले को पहले ग्राम सभा के सामने, लिखित शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे। ग्राम सभा द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – पड़हा पंच्चा द्वारा एवं अपील II – बेलपंच्चा द्वारा निर्णय लिया जएगा। बेलपंच्चा की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल, द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 या 5 या 7 पड़हा बेल में से अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय स्वीकार्य होगा। बेल पंच्चा हेतु पास–पड़ोस के पड़हा बेल को मदईत अथवा सहयोग के लिए याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल को आमंत्रित किया जाएगा। तीनों बैठक की कार्यवाही में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय का उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।''

परम्परागत उरांव समाज की त्रिस्तरीय ''परम्परागत ग्राम न्याय पंच'' प्रणाली को ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023'' एवं ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल 2024 द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :–

1. परम्परागत उरांव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उरांव समाज नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।

2. परम्परागत उरांव समाज नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो –

(क) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा करके) – यह ग्राम स्तर पर होता है।

(ख) पड़हा पंच्चा (पड़हा बैठक करके) – यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।

(ग) बेःल पंच्चा (बेःल समूह का बैठक करके) – कई पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 पड़हा बेल, मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार तय होता हैं।

यहां पद्दा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उरांव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उःजना समझा जाता है) होता है, एक चाःला थान (सरना स्थल), एक देबीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव–पितर का बंटावारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का समूह छुट गया और समूह छुटने से सामुहिकता और सामूहिक व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठन एवं आस्था–विश्वास वाले समूह के संगत में जाने लगे, जो समाज के लिए अहितकर साबित हुआ।

पंच्चा का अर्थ उरांव समाज में प्रथागत सामाजिक न्याय प्रणाली से है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जिसे आंशिक तौर पर पंचनामा के अर्थ में समझा जा सकता है। किन्तु हिन्दी में पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। पर पद्दा पंच्चा या पड़हा पंच्चा या बेल पंच्चा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंच्चा शब्द के साथ कई गाना उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गाया जाता है –

1. पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय,
पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय।
किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय,
किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय।

भावार्थ – यह गीत महिलाओं द्वारा सामाजिक न्याय के दौरान पुरूषों में उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंच्चा भईयर बअ़दी कोय पेलो,
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
हेओर दरा लवओर कोय पेलो,
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।
अखड़ा बेःचा बरओन कोय पेलो,
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपड़ारआ।
कन्ना–बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।
पड़हा पंच्चा चोःचा गुचा सपड़ारआ,
बेल पंच्चा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली बाल कविता है। बच्चों के बीच इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले पद्दा पंच्चा/ग्राम सभा के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पड़हा के बीच पंहुचता है और वहां पड़हा पंच्चा में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया लाता है।

वर्तमान न्यायालय व्यवस्था में किसी मामले को समीक्षा करने के लिए 03 बार अवसर प्रदान किया जाता है। परम्परागत उरांव समाज में भी ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पड़हा में किया जाता है उसके बाद इससे उपरी समीक्षा स्थल बेल पंच्चा के लिए बिसुसेन्दरा द्वारा निर्धारित पंच गण (JURY MEMBER) के माध्यम से समीक्षा किया जाता है। उरांव समाज में इस प्रकार की सामाजिक न्याय प्रणाली एक त्वरित एवं पारदर्शी न्याय प्रणाली है। इस सामाजिक न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा'' में सामाजिक समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। तीसरे स्तर का बैठक अर्थात बेल पंच्चा के लिए पंच गण (JURY MEMBER) का निर्धारण बिसुसेन्दरा द्वारा तय किया जाता है। बेल पंच्चा के लिए शिकायत आने पर 3 या 5 या 7 पड़हा बेल में से आमंत्रित पड़हा बेल अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेते है।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला जिला के डालसा के सचिव महोदय से मिले। डॉ० नारायण उरांव की बातें विधि के जानकारों से हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि – ''पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट–कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में सचिव महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा–पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी–परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निम्नलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पद्दा सबहा/ग्राम सभा में आये तो, पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी–प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।

2. यदि पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो बुनियादि पड़हा में एक साथ रहता आया हो) पड़हा पंच्चा का बैठक

में निर्णय करें। पड़हा पंच्चा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।

3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयागियों के साथ) बेल पंच्चा करें और निर्णय लें। बेल पंच्चा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा चयनित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी संतुस्ट न हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. भारत देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। परन्तु भारतीय संसद द्वारा 1965 में लोकुर कमिशन का गठन किया गया, जिसका रिपोर्ट अबतक जनजाति मामले में मान्य है। कमिशन की रिपोर्ट में जनजाति के लक्षण बतलाये गए हैं जो इस प्रकार है –

(क) आदिम लक्षण (जैसे – सेन्दरा, पर्व त्योहार ख़द्दी, करम, सोहरई, फग्गु, हरियनी, बेंज्जा आदि।)
(ख) विशिष्ट संस्कृति (विशिष्ट भाषा एवं विशिष्ट संस्कृति)।
(ग) भौगोलिक अलगाव (उराँव छोटानागपुर में, हो कोलहान में, संताल का संतालपरगना में बसाव है।)
(घ) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच।
(ङ) पिछड़ापन।

5. परम्परागत आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा एवं विशिष्ट संस्कृति के साथ गुजर–बसर कर रहे है। इस दौरान उसे देश की प्रशासनिक एवं न्यायायिक व्यवस्था के साथ सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ज्ञात होता है कि देश में दो तरह का कानून है – 1. सिविल लॉ (जो सबके लिए बराबर रूप से सबों पर लागू होता है) 2. सामुदायिक कानून (जैसे – हिन्दु के लिए हिन्दु उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई के लिए भारतीय ईसाई कानून आदि है।)

किन्तु भारत देश में आदिवासी समूदाय के लिए 1997 ई0 से पहले कोई अलग सामुदायिक कानून नहीं बना था। इस संदर्भ में वर्ष 1997 को भूरिया कमिशन बना, जो PESA Act 1997 (पेसा कानून 1997) के रूप में संसद सभा को सौंपा। इसके तहत राज्य सरकार को वहाँ के निवासियो के जनहित में राज्य स्तर पर कानून बनाना है। पेसा एक्ट 1996 की अधिसूचना इस प्रकार है –

THE PRPOVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996, No. 40 OF 1996
(24th December, 1996)

4. (d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution.

भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(1) में परम्परागत रूढ़ी प्रथा को कानून का बल प्रदान किया गया है तथा पेसा एक्ट 1996, 4(घ) के तहत ग्राम सभा को रूढ़ी प्रथा के अन्तर्गत निराकरण करने का बल प्रदान किया गया है। वैसे न्यायालय में रूढ़ीप्रथा रीति रिवाज के संबंध में निम्न 05 बातें देखीं जाती है – 1. प्राचीनता 2. निरंतरता 3. एकरूपता 4. नैतिकता 5. निश्चितता। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए समुदाय में कार्य किया जाए।

आलेख – डॉ नारायण भगत,
विभागाध्यक्ष, कुँडुख़ विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।
मो0 न0 – 8521458677

आलेख – डॉ नारायण उराँव,
संयोजक, अद्दी कुँडुख़ चाःला
धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची
मो0 न0 – 8521458677

10. कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को बी.ए. एवं एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति से मिला आदिवासी प्रतिनिधि मंडल।

दिनांक – 29 फरबरी 2024 को रांची विश्वविद्यालय, रांची के बी.ए. एवं एम.ए. के कुँड़ुख़ भाषा विषय के पाठ्यक्रम में कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग–सिकि को शामिल कराने तथा पठन–पाठन कराने के लिए पारंपरिक स्वशासन पड़हा व्यवस्था गुमला, लोहरदगा, रांची के पड़हा बेल (पड़हा राजा) एवं सदस्यों ने कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची से मुलाकात की। कुलपति महोदय ने अपनी व्यस्तता के बावजूद काफी समय निकाल कर प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। कुलपति महोदय ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के झारखंड आगमन को लेकर उनकी व्यस्तता काफी बढ़ी हुई है। बावजूद इसके कुलपति ने यह आश्वासन दिया कि वह जल्द ही पुनः इस प्रतिनिधिमंडल के साथ 01 मार्च को बातचीत करके मामले का समाधान निकाल लेंगे। हालांकि कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल से वह सरकार का गज़ट की कॉपी की मांग की जिसमें कुंडुख़ तोलोंग–सिकि को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन में झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, रांची के सचिव, श्री मुख्त्यार सिंह के हस्ताक्षर से गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र में राज्य सरकार की स्वीकृति एवं अनुमति दर्ज है। साथ ही झारखंड इंटरमीडियट काउन्सिल के आदेश पर मैट्रिक परीक्षा में कुंडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि में कराने का निर्देश भी शामिल है। उसके अनुसार 2009 में एक विद्यालय में और 2016 से सभी विद्यालयों में कुडुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकि, लिपि में करायी जा रही है।

यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पाठ्यक्रम बनाये जाने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिया गया है। बावजूद इसके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग ने अब तक कुंड़ख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को शामिल नहीं किया है।

बताते चलें कि झारखंड सहित 29 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों में रहनेवाली जनसंख्या क्रमशः 52 लाख, कुंडुंख भाषा–भाषी हैं।

कुलपति से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में रंथु उरावं (12 पड़हा बेल मन्हो जोरी), एतवा उरांव (9 पड़हा करकरी, मंगलो, भरनो, गुमला) जुब्बी उरांव (लोंगा, भरनो), देवस्थन उरांव (7 पड़हा बेल केंद्र वलमी, भंडरा, लोहरदगा) गजेन्द्र उरांव (नौ पड़हा कोटवार सैन्दा), अरविन्द उरांव (नौ पड़हा देवान आताकोरा करकरी, सिसई, भरनो), सुका उरांव (7 पड़हा कोटवार बेड़ो), पंकज उरांव (पहान), विजय उरांव (35 पड़हा बेल लोहरदगा), अजय लकड़ा (12 पड़हा बेड़ो), विनोद भगत (7 पड़हा बाघा लोहरदगा), सुरेष उरांव (7 पड़हा धनकारा लातेहार), संजीव भगत (पारंपरिक स्वषासन पड़हा, लोहरदगा), संतोश उरांव (लातेहार), नरेश उरांव (12 पड़हा सेन्दुर, लोहरदगा), करमा उरांव (12 पड़हा, नरकोपी), डॉ शांति खलखो (शिक्षाविद्), नीतू साक्षी टोप्पो (पेल्लो कोटवार, अद्दी अखड़ा, संस्था, रांची) आदि शामिल हुए।

रिपोर्टर –
गजेन्द्र उरांव
पड़हा कोटवार
परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्चा
सिसई–भरनो, गुमला
झारखण्ड।

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

देवनागरी मे लिप्यंतरन

11. सिनगी दइई बरआ लगी (नाटक)

(टूःडूस : सय महादेव टोप्पो, हरमू बाईपास, राँची, जिला : राँची)

(ई नाटक आ बेड़ा ता हिके एका बीरी का कुँड़ख़ मे:तर बिसुसेन्दरा केरका रहचर। आ बारी तुडुख़र रूईहतास गढ़े नू हमला नंज्जर। सिनगी दई अरा संग्गियर आःरिन पस्सर की खेदचर। आ बेड़ा नूम ओन्टा पेल्लो गही ख़ेड़्ड नू लग्गिया अरा आद खोंड़हा ती जुदा मंज्जा। अदि गने दू ठो अउर पेल्लर हूँ संग्गे मंज्जर दरा खोंहड़ा ती एबेसरर।) मंचे नू मन्न–मास एत्थरआ लगी। कटिक गेच्छा नू परता एथेरआ लगी। मंच ख़ोःख़ा नू – पसआ हो, धरआ हो, बोंग्गा अमके

चिआ – एन्ने गुल मेन्दरई। आःलर गही चिचयारना हूँ मेन्देर'ई। घोड़ो गही चिचयारना हूँ मेन्दरआ लगी। तीन ठो पेल्लर मेत धुती, झुला अत्तरकी मंचे नू कोरनर। आःर गही ख़ेक्ख़ा नू बल्लू, धनु–कन्ना (तीर) अरा तड़री रअ़ई। दू झनर ओन्टा मुक्कन सहड़ा चिअ़र दरा होआ लगनर।)

बल्लू धरचका पेल्लो – लय कोय, इसन कटिक सथारदत ! एःन अम्म बेद्‌देन। (दूइयो मुक्कर, तड़री धरचका लंगड़ऊ आःलिन सहड़ा चिअर की ओकताअ़नर।)

तड़री धरचका पेल्लो – एकसन हूँ अमके काःला ! एःन कोड़ेम रअ़एन।

धनु–कन्ना(तीर) धरचका पेल्लो – बग्गे बड़ियर कत्था अम्बय कच्छनख़रअय। एःका पोल्ला लगदी। इंवदा ख़ेंःस उर्खिया अरा बआ लगदी एःन कोड़ेम रअ़एन। इदिन एःरके तो ! एःन अम्म अरा दवई घाःसी बेद्‌दर दरा बरआ लगेन। धनु–कन्ना धरचका पेल्लो मंचे ती चइल काःली।

बल्लू धरचका पेल्लो – बग्गेम नुंज्जआ लगी ?

तड़री धरचका पेल्लो – बग्गे का मला पहेंक खेड्‌ड थमआ मल चिआ लगी। ख़ेंःस एःरर की इलिचका लग्गा लगी।

बल्लू धरचका पेल्लो – एःदअय तो ख़ेड्‌डन, ख़ेड्‌ड–ख़ोचोल अत्तरा–इत्तरा मंज्जकी रअ़ई होले इदिन ओक्त'एन चि'एन।

तड़री धरचका पेल्लो – मला–मला रआ चि'अय ......अइयो ... (तंगहय खेड्‌डन धरई)।

बल्लू धरचका पेल्लो – इवंदा नुंजआ लगी अन्नु हूँ मला–मला बअ़दी। एःदअय खेड्‌डन ? (जबरई ख़ेड्‌डन धरई दरा ख़ेड्‌डन अत्तरा–इत्तरा कप्पी ख़ने लंगड़ऊ आःली चिचयार'ई।)

तड़री धरचका पेल्लो – अयो अयो अम्बय ची ..हूँ हूँ हूँ ... (कुँहरार'ई).. मला रअय ची ..आँ...आँ ...।

बल्लू धरचका पेल्लो – छछेम र'अय तो, ओन घड़ी।

(ख़ेड्‌डन कप्पनूम रई। ओन गुसन कप्पी)

तड़री धरचका पेल्लो –''आँ .. हों ... हों हों हो ... अम्बय ची ... ''

(आ बीरिम बल्लू धरचका पेल्लो ख़ेड्‌डन नतगी चिई।)

अयो अयो.. एन्देर नंज्जकी .. दःव लग्गा लगी... अयो अयो एंवदा नुंज्जआ लग्गिया।

(बअ़नुम अलख़ना बेसेम मनी)

बल्लू धरचका पेल्लो – दःव लग्गिया ?

तड़री धरचका पेल्लो – ह'ई (कुक्कन नुक'ई)।

बल्लू धरचका पेल्लो – सुपली मईन्ता ता ओन्टा खोचोल घसकारकी रहचा .. आःद अक्कु उक्किया। एःन किचरी गने हेएन चिएनकृ पखना गने का एन्देर ती लग्गकी रअदी ख़ेंःस उरख़ा लगी, दःव लग्गो। (गमछा लेखआ किचरिन चर्रर की अरा भूरियो एःप गने हेअई चिअई)। आ बीरिम धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो ख़ेःता नू अम्म ओन्दोअर की बर'ई।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो– सोन ख़ाड़ गा गेच्छम रहचा, हेद्‌देम पझरा रअ़ई असतले केम अम्म ओन्दरआ लगेन। ओनय .. ?

बल्लू धरचका पेल्लो – तुम्मबा रहचका ती एंग्गा हूँ अम्म ख़क्खरओ पहें।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – इदा रई मला। एंगहय गुसन हुरमी रअई। कन्तो हूँ रअई। मोःचना का, खण्डना रअ़ई एन्दरा दिम ?

(कड़मा गुसन हेःचका तुम्मबन कुल्ली दरा अम्म चिअ़ई।)

तड़री धरचका पेल्लो – बबा, कंतो हूँ रअई ? अउर एन्देर एन्देर उइदी तेंग्गय तो।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – बेड़न एःरर की हुरमीन बुझुरना अरा अख़ना लग्गो। बेस, अनेस एन्देर मना उंग्गी इदिन घोख़अर की अबड़ा जिनिस–बसुतन समटारकी एड़पन ती एकसआ नुम उरूखना चही। एन्देर गही दरकार मना उंग्गी इदिन पेल्लारिन, मुक्कारिन बग्गे बुझुरना लग्गो। एन्नेम गा इंगयो सिखाबाचकी रअ़ई।

बल्लु धरचका पेल्लो – दःव बाःचकी दई। ख़नेम गा किचरी उइका रहचा एंगहय गुसन। महले इदिही ख़ेड़्डन एकासे हेअर की उजगआ ओंगोन पहें।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – खनेम गा धनु–कन्ना(तीर), तरवइर, बल्लु, भुरियो गुट्टी चलबआ अख़'एन। अक्कुन ददा, बबा, कका गर ने हूँ मल्लर होरमर बिसुसेन्दरा केरका रअ़नर। नमन एन्ने बेड़ा नू ने एःरो, का बछाबओ पहें ? तेंग्गय तो !

बल्लु धरचका पेल्लो – ई नमहय, सिनगी दई बअय, कइली दई बअय का, चम्पु दईयन बअय। ई होरमा दई गर गा जोंख़र लेखआ दिम जोरगर, बड़ियर अरा हुसियार रअनर। अन्नेम सेयान हूँ।

तड़री धरचका पेल्लो – ख़नेम गा तुड़ख़ारिन खेदआ उंग्गकम।

बल्लु धरचका पेल्लो – एःन गा बल्लू गनेम खण्डकन ओरतोसिन।

तड़री धरचका पेल्लो – एःन गा ददस गहि ढंवठा सेन्दरा बिचू का, माक लवउ डण्डन हूँ उंदरकी रहचअन। ओन्टा घोड़ो गही ख़ेड़्ड नू एन्ने लेबदाचअन का घोड़ो ख़त्तरा दिम केरा। इजअम पोल्ला।

धनु–कन्ना(तीर) धरचका पेल्लो – बबा! अन्ने जोरगर नलख नंज्जकी।

बल्लु धरचका पेल्लो – हाँ ! निंग्गन अक्कु एकासे लग्गा ली। एःका ओंग्गोय का एन्नेम टंगअर की होअ़ना लग्गो।

तड़री धरचका पेल्लो – एःरेन, (इजअर की एःका बिद्दी, ख़तरना बेसे मनी, दूयो झनर समढ़ाअ़नर) धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – सथारओय का जोर ननोय ?

बल्लु धरचका पेल्लो – रहा, (खेड़्डन धरई, दूयो झनर अदिन एःरनर।) (मंचे ख़ोंःख़ा तरा आःलर गही बरना मेन्देरई, घोड़ो बरना लेखआ मेन्दरई।)

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – मेनय, ओनाबअय तो ने बरआ लगी। सिनगी दई तली का।

बल्लु धरचका पेल्लो – (ख़ेबदा गुसन ख़ेक्खा उय्यरकी ओनाब'ई, अत्तरा इत्तरा ईकी) अन्नेम गा मेन्देरआ लगी।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका मुक्का – हाँ, अन्नेम मेन्दरआ लगी। सिनगी दई दिम तली।

तड़री धरचका पेल्लो – सिनगी दई बरआ लगी।

बल्लु धरचका पेल्लो – हाँ, अन्नेमगा मेन्देरआ लगी। तुड़ख़ारिन अउर ओंगहोन ख़ेदचर बेसे लग्गा लगी।

तड़री धरचका पेल्लो – हअ़ई, अउर ओंगहोन ख़ेदचर पपियहारिन। (इजआ बेद्दी, एंग्गन अतरम हो'ए। सिनगी दई बरआ लगी।)

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – हाँ, सिनगी दई दिम हिके।

बल्लु धरचका पेल्लो – गुचे, अतरम कालोत। इदिन घोड़ो नू ओकताअ़ना मनो।

तड़री धरचका पेल्लो – गुचे, आ खोंड़हा तरा मेसरओत। गुचे, सिनगी दई बरआ लगी।

धनु–कन्ना (तीर) धरचका पेल्लो – ई मइन धरअय। (दुयो झनर धरनर)

तड़री धरचका पेल्लो – हाँ गुचे, (रीझिरनुम बअ़ई) सिनगी दई बरआ लगी।

दुयो झनर तड़री धरचका पेल्लोन धरनर, चोअर की जोर से एःका हिलिरई – बअ़नुम काःली, सिनगी दई बरआ लगी, सिनगी दई बरआ लगी।)

*****

12. उराँव समाज प्रतिनिधि मंडल ने तोलोंग सिकि, लिपि के संबंध में राज्यपाल के समक्ष रखी मांग

दिनांक 26.06.2024 दिन बुधवार को 03.00 बजे अपराहन 05 उराँव आदिवासी, अपनी मातृभाषा कुँडुख़ एवं कुँडुख़ की लिपि तोलोंग सिकि के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड से मिले प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व सुश्री नीतू साक्षी टोप्पो, पेल्लो कोटवार, अद्दी अखड़ा, राँची द्वारा किया गया। इस प्रतिनिधि मण्डल में साहित्यकार सह साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सदस्य श्री महादेव टोप्पो, तोलोंग सिकि लिपि के संस्थापक डा0 नारायण उराँव, पड़हा देवान लोहरदगा श्री संजीव भगत, कुँडुख स्कूल मंगलो के प्राधानाचार्य श्री अरविन्द उरांव एवं सुश्री नीतू साक्षी टोप्पो द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

प्रतिनिधि मण्डल ने महामहीम से कहा कि – वे सभी उराँव आदिवासी समूह से हैं। उनकी अर्थात उराँव समूह की एक विशिष्ट भाषा है जिसका नाम कुँडुख़ है तथा इस भाषा की अपनी लिपि है जिसका नाम तोलोंग सिकि है। आदिवासी उराँव समाज अपन मातृभाषा एवं लिपि में पढ़ाई लिखाई करना चाहता है। पर सरकार की ओर से इस संबंध में पूरी मदद नहीं मिलती है। ज्ञात हो कि रँची विश्वविद्यालय में 42 वर्ष से हिन्दी–संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी के माध्यम से चल रहा है और अबतक कुँडुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि में पढ़ाई–लिखाई आरंभ नहीं हुआ है। इस संदर्भ में समाज द्वारा कई अलग–अलग विभाग में मांग किया जाता रहा है पर विश्वविद्यालय स्तर पर यह सामयिक मांग अबतक अधूरी है। वैसे माध्यमिक स्तार पर कुँड़ख़ कि कुँडुख़ भाषा की पढ़ाई तोलोंग सिकि लिपि में भी हो। यह मांग माननीय कुलपति राँची विश्वविद्यालय, रांची से प्रतिनिधि मण्डल मिला किन्तु कुलपति महोदय ने कहा कि – लिपि की मान्यता के संबंध में राजकीय गजट लायें, तभी इसे स्वीकार करेंगे।

ज्ञात हो कि झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने वर्ष 2003 में कुँडुख़ भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि को स्वीकृति प्रदान किया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद जैक द्वारा कुँडुख़ भाषा विषय की मैट्रिक परीक्षा तोलोंग सिकि में लिखने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वर्ष 2009 से एक स्कूल के छात्र तथा वर्ष 2016 से इच्छुक सभी छात्रों के तोलोंग सिकि लिपि में परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है। परन्तु विश्वविद्यालय स्तर पर अबतक इसकी पढ़ाई–लिखाई नहीं कराया जा रहा है। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इन मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसपर महामहीम राज्यपाल द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

महामहीम के साथ परिचर्चा का दूसरा विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ आदिवासी सामाज के बीच धुमकुडिया को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका के स्थान पर जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा होने पर आदिवासी समाज के बच्चे अपनी संस्कृति को बचपन से ही समझेंगे और उसे अमल करेंगे। इसे आदिवासी क्षेत्रो के बच्चो में Drug addiction से मुक्ति का रास्ता बनेगा। इस विषय पर भी महामहीम राज्यपाल द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया और इसपर कार्य किए जाने पर सहमति बनी।

चर्चा का तीसरा विषय परम्परागत ग्रामसभा के माध्यम से सामाजिक न्याय व्यवस्था को लागू करना था। इस विषय पर चर्चा हुई कि – अब माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि आदिवासी मामले को उसके कस्टमरी कानून के जरीये निस्पादन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परम्परागत ग्रामसभा–पड़हा को कानूनी मान्यता मिले । इस तरह का कार्य कोलहान क्षेत्र में न्याय पंच कानूनी व्यवस्था झाखण्ड द्वारा लागू कराया जा चुका है। इस विषय पर महामहीम राज्यपाल के माननीय प्रधान सचिव द्वारा कहा गया कि झारखण्ड में पेसा कानून लागू नहीं है, जिसके चलते अनुसूचित क्षेत्र में इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह फैसला करना सरकार की जिम्मेदारी है। अंत में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इस विषयों पर महामहीम राज्यपाल के साथ दोबारा आकर मिलने की तैयारी के साथ वहां से सभी प्रतिनिधि मंडल वापस लौट गए।

रिपोर्टर –
नीतू साक्षी टोप्पो पेल्लो कोटवार,
अद्दी अखडा, रांची।

13. राउरकेला, ओड़िसा में धुमकुड़िया विषयक, प्रथम दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

दिनांक – 29.06.2024 से 30.06.2024 को दो दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के आयोजक – सरना प्रार्थना सभा, उड़ीसा द्वारा सरना चौक निकट धुमकुड़िया भवन, उदितनगर, राउरकेला में आयोजन हुआ। कुंडुख समाज कैसे बचेगी ? इसी सवाल का जवाब में – विलुप्त होती अपनी मातृभाषा कुँडुख़, पड़हा, धुमकुड़िया, अखड़ा, सारना (अध्यात्म स्त्रोत – सरना प्रार्थना सभा) सरना धरम, नेःगचार, कुंडुख़ संस्कृति आदि का संरक्षण,संवर्धन एवं विकास के लिए उरांव कुँडुख़ समुदाय क्या कर रही है ? इसे जानने समझने की आवष्यकता है। डॉ. नारायण उराँव, तोलोंग सिकि आविष्कारक एवं अरविंद उराँव, संस्थापक – कुँडुख़ स्कूल, मंगलो के बीच उड़ीसा राज्य के कुँडुख़ उराँव समुदाय की अपनी भाषा लिपि पर उनकी स्थिति के बारे में चर्चा किया करते थे। डॉ उराँव हमेशा कहते थे कि झारखंड से बेहतर पड़हा व्यवस्था का संचालन उड़ीसा के कुँडुख़र कर रहे हैं। लेकिन अपनी भाषा–लिपि एवं धुमकुड़िया पर स्पष्ट निर्णय का पता नही चलता है। उड़ीसा वाले आगे क्या निर्णय लेते हैं। इससे आगे बात नही बढ़ पाती थी। धुमकुड़िया 2024 राउरकेला, उड़ीसा में शामिल होने के बाद एक नया उम्मीद, तोलोंग खोड़हा, झारखंड में जाग उठी है। अब उड़ीसा के कुँडुख़ उराँव समुदाय सही निर्णय लेते हुए अपनी विलुप्त होती कुंडुख भाशा को बचाने एवं कुंडुख भाषा की अपनी लिपि तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता लेने हेतु आवेदन करने की उम्मीद है। झारखंड से मैं अरविन्द उराँव, नीतु साक्षी टोप्पो, श्री भुवनेश्वर उराँव तीनों धुमकुड़िया 2024, राउरकेला उड़ीसा में शामिल होकर अपने समुदाय को बचा पाने का अनुभव महसूस कर रहे हैं। धूमकुड़िया में इतने पेल्लर–जोंख़र का शामिल होना एक अच्छा संकेत है। इससे पहले झारखंड के सिसई, टुकू सैन्दा नामक स्थान पर धुमकुड़िया शिक्षण शुरु करने के लिए लगभग 250, इंटर, बी. ए., एम.ए. के कुंडुख़ पेल्लर–जोख़र प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु 2020 में शामिल हुए थे। परिणाम स्वरूप खास कर झारखंड के गुमला, लोहरदगा, रांची जिला में धुमकुड़िया शिक्षण कार्य प्रारंभ की जा रही है।

डॉ नारायण उराँव ने कुँडुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि पर 30 वर्षो का कार्य उपलब्धि को साझा किया एवं धुमकुड़िया 2024, उड़ीसा, राउरकेला में शामिल पेल्लर–जोंख़र को अनेक समाजिक गुर सिखाये। सरना प्रर्थना सभा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रवि तिग्गा जी ने धुमकुड़िया 2024 राउरकेला शामिल पेल्लर–जोंख़र को अपनी सरना धरम, संस्कृति के बारे में विस्तार से बताये। आयोजन कर्ता मणीलाल केरकेट्टा, राउरकेला, उड़ीसा के विचारधारा पर कुँडुख़ समाज को चलने की आवश्यकता है। श्री मणिलाल केरकेट्टा जी के धरम पत्नी ने डॉ नारायण उराँव के बातों को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद बताई कि शुरू में खटपट सा लगा लेकिन बाद में बहुत ही अच्छी–अच्छी बातों को बता रहे थे जो सुनने योग्य था और उनकी बातों को अमल करने की जरूरत है। और उनके बताये मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित युवा उत्साहित होकर वक्ताओं को सुन रहे थे। तोलोंग सिकि वर्णमाला को लेकर उन्होंने डॉ. नारायण उरांव श्सैंदाश से कई सवाल भी पूछे जैसे अंग्रेजी में पांच स्वरों से अलग तोलोंग सिकि लिपि में छह स्वर क्यों है? भाषा लिपि समझने के लिए उन्हें रोचक संतोश जनक जवाब मिला।

झारखंड सरकार में तोलोंग सिकि का मान्यता –

कुंडुख़ भाषा को बचाने का संकल्प हम सभी कुँड़ख़र को लेना ही होगा। अन्यथा पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। डॉ. नारायण उराँव, तोलोंग सिकि जन्मदाता, पेशे से डॉक्टर होते हुए अपनी मातृभाषा कुँडुख़ एवं कुँडुख़ समाज को बचाने के लिए दिन–रात

कार्य कर रहे हैं। उनके 30 वर्षों का तोलोंग सिकि पर कार्य को फलते–फुलते देख सकते हैं। 5/6 पड़हा, 7 पड़हा, 9 पड़हा (3 संगी पड़हा, 22 पद्दा) सिसई भरनो के द्वारा आयोजित शिवनाथ–चटकपुर बगीचा में पहला बिसुसेन्दरा 2011 में डॉ० उराँव के द्वारा सेन्दरा सभा को संबोधित करते हुए कुँडुख़ प्रवेशिका पुस्तक ''कइलगा'' को कुंडुख़ समाज सिसई, भरनो के बीच पहली बार प्रस्तुत किये थे। उसी सेंदरा सभा में मैं अरविंद उराँव, कार्तिक उराँव आदिवासी कुँडुख़ स्कूल मंगलो, सिसई, गुमला (झारखंड) के माध्यम से विलुप्त होती अपनी मातृभाषा कुंडुख़ एवं संस्कृति को बचाने का छोटी सी प्रयास को साझा, डॉ उराँव की उपस्थित में किया था। उसने मुझसे एक ही सवाल किये थे। नीन नन्नर घी गोहलन एँवदां उल्ला उयोय ? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं थ्रा, लेकिन उसने बिसुसेंदरा में उपस्थित कुँडुख़र के बीच इस सवाल का जवाब चाहते थे। इसलिए कहा बुझ्रुरकय ? हमने कहा हाँ, यदि उसी समय डॉ० उराँव के द्वारा दूसरा सवाल एंदरा बुझ्रुरकय ? करते तो, पता नहीं मेरा स्थिति क्या होता ? बिसुसेन्दरा से वापसी के दौरान उत्तर ढूंढ लिया। घर पहुंच कर तीन घंटे में तोलोंग सिकि से लिखना–पढ़ना–सीखा और ठीक उसके अगले दिन से ही विद्यालय में कुँडुखढ भाषा विषय को उनकी लिपि तोलोंग सिकि से पढ़ाना–लिखाना शुरु की गई। 2012 से लगातार कुँडुख़ स्कूल मंगलो के छात्र, छात्राओं के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा एक भाषा विषय कुँडुखढ को उनकी लिपि तोलोंग सिकि से लिखने के लिए अनुमति झारखंड सरकार से वर्ष 2016 तक की गई। अंततः 12 फरवरी 2016 को तोलोंग सिकि से मैट्रिक की परीक्षा एक भाषा विषय कुँडुख़ को लिखने की अनुमति झारखंड सरकार के द्वारा दी गई। यह मांग हेतु अनेक कुँडुख़ लूरगर, बुद्धिजीवी लोग आगे आए इसका परिणाम है। कुँडुख़ समाज का यह पहला उपलब्ध था इस तिथि को अस्थाई बृहत कुँडुख़ तोलोंग जतरा का आयोजन झारखंड में की जाती रही है।

बंगाल सरकार ने वर्ष 2018 में तोलोंग सिकि को मान्यता दी –

आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तभी उन भाषा का पूर्ण विकास किया जा सकता है।

कुँडुख़/उराँव समुदाय (उड़ीसा), जल्द तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता हेतु आवेदन करेगी। बुदु केरकेट्टा, कोषाध्यक्ष, सरना प्रार्थना सभा स्टेट कमिटी, उड़ीसा ने बताया कि कुँडुख़ भाषा की अपनी लिपि तोलोंग सिकि को उड़ीसा सरकार से मान्यता हेतु तैयारी की जा रही है।

धुमकुड़िया 2024 राउरकेला मे 220 पेल्लर–जोख़र शामिल हुए यदि कुँडुख समाज का विकास के लिए युवक–युवतियों को धुमकुड़िया के माध्यम से प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। वहां मौजूद सरना स्थल 7 एकड़ पर फैला हुआ है यह भारत का सबसे बड़ा सरना स्थल का रिकॉर्ड होगा जो एक शहर के बीच में है। उड़ीसा कुँडुख समुदाय (सरना प्रार्थना सभा) का इस अहम योगदान याद रखने योग्य है। धुमकुड़िया 2024 राउरकेला का सफल आयोजन में निम्न सरना प्रार्थना सभा के पद धारियों का मुख्य योगदान रहा।

सरना प्रार्थना सभा स्टेट कमिटी –
अध्यक्ष – मणीलाल केरकेट्टा
उपाध्यक्ष –गजेन्द्र गिद्ध
सचिव – सुशील कुमार लकड़ा
संयुक्त सचिव –धनेशवर तिर्की
कोषाध्यक्ष –बुदु केरकेट्टा
सरना प्रार्थना सभा जिला कमिटी के
अध्यक्ष – बिल्लु तिर्की
उपाध्यक्ष – सशील खलखो (फाइनेंशियल मैनेजमेंट)
सचिव – अननता उराँव
(रिपोर्ट : अरविन्द उराँव, कुँडुख़ स्कूल, मंगलो, सिसई)

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी (टी०सी०एस०)

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी के अंतर्गत हाशिये पर आ चुके सामुदायों विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही कार्यरत इकाई है। यह एक अव्यवसायिक और स्वंयसेवी संगठन है। ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी की यात्रा 1974 में तब शुरु हुई जबकी इसने जनजातीय मामलों के लिए एक संयुक्त समिति के रुप में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1993 में समिति पंजीयन अधिनियम के तहत इसका एक समिति के रुप में पंजीयन कराया गया। टाटा स्टील ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी का मुख्य उद्देश्य जनजाति अस्मिता और धरोहर को प्रोत्साहित करना है। यह जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा अजीविका के विभिन्न पक्षो में आर्थिक पहल के जरिए जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से सम्बद्ध गतिविधियों पर केंद्रित है। कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं :–

- ❖ जनजातीय समुदायों की देशज अस्मिता या मौलिक पहचान का संरक्षण और संवर्धन।
- ❖ सशक्त समाजों के निर्माण हेतु सिक्षा को विशेषतः युवाओं के मध्य प्रोत्साहित करना।
- ❖ कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।